जन–आस्था और विश्वास के दो वर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

सामाजिक लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर सामाजिक परिवर्तन की ठोस शुरूआत करना उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी के पहले शासनकाल से लेकर वर्तमान शासनकाल तक सबसे अहम मुद्दा रहा है। अपने चारों शासनकालों में उन्होंने समाज के बिल्कुल निचली पायदान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित और हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को सबसे पहले उठाने की कोशिश की है। अपने हर फैसले, हर निर्णय के केन्द्र में उन्हें रखा है और उनकी हर आवाज तथा बुनियादी सुविधाओं को सबसे अधिक तरजीह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने विकास की परिभाषा को ज़मीनी जरूरतों से जोड़ा है। हवाई योजनाओं और आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हटकर आम जीवन की ज़रूरी और बुनियादी सुविधाएं विकास कार्यक्रमों के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश की है। हालांकि मा0 मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश की इस बार सत्ता सम्भाली तो पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों के कारण सरकार के लगभग सभी विभागों की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हालत में मिली। बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा हुआ था, पूर्वान्चल क्षेत्र और बिजली की हालत काफी ज्यादा खराब थी और गन्ना किसानों का पड़ा हुआ बकाया उन्हें विरासत में मिला। सड़कें, अस्पताल, स्कूलों व नहरों की हालत भी दयनीय बनी हुयी थी, जिसे ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरन्त ही 80 हजार करोड़ रु0 का आर्थिक सहायता पैकेज केन्द्र सरकार से मांगा था लेकिन आज तक केन्द्र से उत्तर प्रदेश सरकार को इस मांगे गये पैकेज के सापेक्ष कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

सुश्री मायावती की शासन शैली का एक बुनियादी फर्क उत्तर प्रदेश की जनता को एक नये और खास रंग में देखने को मिला है। वह रंग है अपराधों पर कड़ा अंकुश और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण का। पिछले एक दशक में ये विषय सुश्री मायावती के व्यक्तित्व की पहचान बन गये हैं। दो वर्ष पूर्व प्रदेश में एक लम्बी अस्थिरता के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्ष 2007 में हुए विधान सभा के आम चुनाव में सुश्री मायावती जी के हाथों में इसीलिये अपनी आस्था दिखाते हुये स्पष्ट बहुमत से उन्हें सत्ता सौंपी। आम जनता की आस्था और विश्वास की प्रतीक वर्तमान सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल का दूसरा वर्ष 13 मई, 2009 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इस दो साल की अवधि में वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगलराज और गुण्डा टैक्स के माहौल से निकालकर 'कानून द्वारा कानून का राज' देने का सफल प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में विकास का एक सकारात्मक वातावरण व जन–सुविधाओं से भरपूर एक नया माहौल बना है। इन दो वर्षों की अवधि में कानून व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले और उपलब्धियॉ अर्जित की गयीं, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभरी है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2012 तक बिजली उत्पादन के क्षेत्र में शत–प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। इससे जहां आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं औद्योगिक विकास का वातावरण भी सृजित होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती जी के प्रयासों को सराहा है और अनुकरणीय बताया है। सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन–चैन और त्वरित विकास के साथ आम जनता की सुविधाओं पर मुख्यमंत्री के सीधे नियन्त्रण ने उत्तर प्रदेश को केवल दो वर्षों में एक अभूतपूर्व पहचान दी है।

दिल्ली को लगभग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस–वे, नौकरियों में वर्षों के बैकलॉग का कोटा पूरा करके हजारों लोगों को रोजगार देना, एकमुश्त एक लाख से अधिक लोगों को सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी देना, शिक्षकों की भर्ती तथा सामान्य वर्ग की भर्ती पर वर्षों से लगी रोक को हटाना, भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना, आम लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए बड़े–बड़े नये अस्पतालों, मेडिकल कालेजों व संस्थानों को खोलना, आदि ऐसे कई उल्लेखनीय फैसले हैं, जिनका प्रदेश की तरक्की पर निश्चय ही सीधा, सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। सुश्री मायावती द्वारा उठाये गये ये ठोस कदम और रचनात्मक कार्यवाहियां उत्तर प्रदेश को 'उत्तम व खुशहाल प्रदेश' बनाने में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे।

जहां तक 'कानून द्वारा कानून का राज' स्थापित कर समाज में शांति व्यवस्था और अमन–चैन का माहौल पैदा करने की बात है, मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का यह मानना है, कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का मतलब पुलिस द्वारा केवल डंडा चलाना ही नहीं है, बल्कि लोगों को समय पर न्याय दिलाना तथा उनके मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा करना भी है। साथ ही कानून की निगाह में सब समान हैं तथा किसी को भी कानून से ऊपर स्वयं को नहीं समझना चाहिए। इन्हीं विचारों पर मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र की मजबूत नींव दृढ़ता से स्थापित हो सके।

वर्तमान सरकार के दो वर्ष के शासनकाल में गुण्डा टैक्स से समाज को मुक्ति दिलाकर कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की व खुशहाली की विभिन्न महत्वकांक्षी परियोजनाओं में पर्याप्त धन आवंटित कर आम जनता की उन्नति के द्वार खोले गये और एक मजबूत खुशहाल व कानून के राज पर आधारित एक नये उत्तर प्रदेश की बुनियाद डाली गयी है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना वास्तव में एक सतत प्रक्रिया है, जो सुश्री मायावती के कुशल नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जारी है।

उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के किये गये अपने वायदे को निभाते हुये मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व सरकार के 'पुलिस भर्ती घोटाले' की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच के उपरान्त सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की गयी लेकिन मा0 सर्वोच्च न्यायालय के बर्खास्त सिपाहियों की बहाली का फैसला आ जाने के बाद उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति भी दी गयी किन्तु पुलिस भर्ती घोटाले में जो अभ्यर्थी गलत तरीके से भर्ती किये गये थे तथा जो शारीरिक रूप से उपयुक्त न होने के बावजूद भर्ती किये गये, उनकी निष्पक्षता के साथ उच्च–स्तरीय जांच की जा रही है ताकि एक बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सच्चाई और वास्तविकता को जनता के सम्मुख लाया जा सके।

दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने प्रदेश की बागडोर संभालने के तत्काल बाद वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बैठक करके अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त वातावरण निर्मित करने के स्पष्ट निर्देश दिये थे। इसके अलावा जन समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निवारण हेतु ''तहसील दिवस'' का आयोजन करने तथा प्रशासन तंत्र को चुस्त–दुरूस्त बनाने के प्रभावी निर्देश भी दिये थे। वर्तमान सरकार दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा ऊंची जाति (अपरकास्ट) के गरीब लोगों को अपने अन्य निर्णयों के साथ नौकरियों में भी प्राथमिकता दे रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मुख्यमंत्री कु0 मायावती जी ने, अपने चारों शासनकाल के दौरान, प्रदेश में विकास एवं कानून–व्यवस्था के मामले में, वैसे तो सर्वसमाज के हितों का पूरा–पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हर मामले में प्राथमिकता पहले समाज के उन दलित, शोषित, पिछड़ा एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी है, जिनकी पूर्व की सरकारों में सभी मामलों में उपेक्षा की गयी है।

मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने सरकार की बागडोर सम्भालते हुए कहा था कि जनता के ऊपर किसी प्रकार की जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या विकास का, किसी भी क्षेत्र में समाज के किसी भी वर्ग पर अन्याय नहीं होना चाहिए। भयमुक्त वातावरण की संरचना के लिये उन्होंने हिदायत दी थी कि नक्सलवाद, माओवाद, आई0एस0आई0 की गतिविधियों

पर बारीकी से नजर रखी जाय। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से अपराधी भागकर उत्तरप्रदेश की सीमा में ना आयें, इस पर भी लगातार निगरानी रखनी होगी।

उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने की हिदायत प्रशासन को दी गयी, जिसमें महिलायें भी आधी रात को निर्भय होकर घरों से निकल सकें। विकास के मामले में उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय करते हुए कहा था, कि ग्रामीण विकास पहली, शहरी विकास दूसरी तथा रोजगार सृजन तीसरी प्राथमिकता होगी। प्रदेश सरकार के पास जो भी सीमित संसाधन उपलब्ध थे, उसी से इन दो वर्षों में विकास कार्यों को सम्पन्न कराना शुरू किया गया और उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा कराया गया। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में एक नये उत्तर प्रदेश की बुनियाद डाली गयी है। जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर कानून का राज स्थापित किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की और खुशहाली के लिए विभिन्न परियोजनाओं में पर्याप्त धन मुहैय्या कराकर विकास का वातावरण सृजित किया गया। इस प्रकार आम जनता की खुशहाली और उन्नति के सपनों को मूर्तरूप प्रदान किया गया। प्रशासनतंत्र को संवेदनशील और जवाबदेह बनाते हुए एक नई कार्य संस्कृति विकसित की गयी।

क्षेत्रीय असंतुलन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकसित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और औद्योगिक रूप से सुदृढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब लाने के लिए महत्वकांक्षी और दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम देने वाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कतिपय परियोजनाएं न केवल तैयार की गयीं, बल्कि इन पर कार्य भी शुरू किया गया है। सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में यह वर्तमान सरकार की दृढ़ता और विकास के प्रति अद्वितीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

प्रदेश के विकास का वास्तविक मतलब जन–सुविधाओं में ज्यादा–से–ज्यादा बढ़ोत्तरी करने का रहा है। डा0 अम्बेडकर ग्रामों के विकास से लेकर मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम से चलाई जा रही शहरी गरीबों के विकास की योजनाओं में, ग्रामीण एंव शहरी, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले **आम आदमी** की रोजमर्रा की ज़िन्दगी को बेहतर बनाने की सफल कोशिशें जारी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार–सृजन, नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुधार, कृषि क्षेत्र को ठहराव से निकालने, सूचना प्रौद्योगिकी को आम जन–जीवन से जोड़ने के ठोस प्रयासों, डाकुओं, माफियाओं, संगठित अपराधियों को जड़ से समाप्त करने और आमजन को शांत और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में इन दो वर्षों में मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ठोस उपलब्धियां अपनी परिकल्पनाओं, निर्णयों और उनके क्रियान्वयन के रूप में हासिल की हैं, उनका एक संक्षिप्त ब्योरा और लेखा–जोखा प्रस्तुत है :–

शांति व्यवस्था

- **'कानून द्वारा कानून का राज'** स्थापित करने को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में व्याप्त जंगलराज का खात्मा करके अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण पैदा करने की प्रतिबद्धता रखते हुए पुलिस अधिकारियों को राजनैतिक या किसी भी तरह के बाहरी दबाव से मुक्त रहकर काम करने की छूट प्रदान की गई।
- संगठित अपराधों व पेशेवर हत्यारों, फिरौती के लिए अपहरण करने वालों, बन्दूक की नोक पर ठेके लेने वालों, हवाला के माध्यम से देश के आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों, धन के लालच में नकली दवाएं बनाने वालों, बड़े स्तर पर शराब बनाने वालों, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों और भू–माफियाओं के ऊपर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाये गये।
- उत्तर प्रदेश में सर्व सम्पन्न उच्च कार्य क्षमतावाला एक अन्तर्विषयक विशेष अनुसंधान दल (**स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम–एसआईटी**) का गठन किया गया, जो एक स्वतंत्र विवेचना एवं जांच एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है।
- आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए **ए0टी0एस0** का गठन तथा **एस0टी0एफ0** के भी दो नये जोन गठित। कुख्यात अपराधियों, माफियाओं, पेशेवर व ईनामी अपराधियों की सूची बनाकर गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान।
- प्रत्येक शिकायतकर्ता की एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के निर्देश। थानों पर एफ0आई0आर0 दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के निर्देश। कानून व्यवस्था की समीक्षा अब दर्ज एफ0आई0आर0 के आंकड़ों के आधार पर न करके दर्ज मामलों में की गयी न्यायोचित कार्रवाई के आधार पर करने की व्यवस्था।
- नयी सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में **कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ** है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधिसम्मत प्रभावी कार्यवाही की गई है। अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं।
- कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली या ऊँची पहुँच वाला क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसके विरुद्ध कड़ी–से–कड़ी कार्यवाही की गई है।
- प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या माओवादी अथवा आतंकवादी घटनायें आदि नहीं घटित हुई हैं।

- प्रदेश की चुस्त–दुरुस्त कानून व्यवस्था तथा **अपराधों का घटता ग्राफ** स्वतः इसकी पुष्टि करते हैं। वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की तुलना में अपराधों में भारी कमी आई थी।वर्ष 2008 में वर्ष 2007 की तुलना में अपराधों में और भी कमी आई है और विगत दो वर्षों की तस्वीर निम्नानुसार है।
  - विगत 13 मई, 2007 से 13 मई, 2009 तक दो वर्ष की अवधि में हत्या व डकैती में 14–14 प्रतिशत, लूट में 19 प्रतिशत, बलवा में 16 प्रतिशत, गृह भेदन 8 प्रतिशत, वाहन चोरी में 3 प्रतिशत, कुल चोरी में 3 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 40 प्रतिशत तथा रोड होल्डप में 29 प्रतिशत की कमी आयी।
  - अपराधियों के विरुद्ध उक्त अवधि में पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हुई। रासुका में 47 प्रतिशत, गैंगस्टर एक्ट में 61 प्रतिशत तथा गुण्डा एक्ट में 50 प्रतिशत, शस्त्र अधिनियम में 17 प्रतिशत, जुआ अधिनियम में 27 प्रतिशत, एनडीपीएस में 19 प्रतिशत, आबकारी अधिनियम में 33 प्रतिशत, अन्य अधिनियम में 31 प्रतिशत से अधिक की कार्रवाई हुई है।
  - महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे हत्या में 13 प्रतिशत, चेन स्नैचिंग में 11 प्रतिशत व बलात्कार में 10 प्रतिशत की कमी आयी है।
  - अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के अपराधों में कमी जैसे हत्या में 22 प्रतिशत, आगजनी में 30 प्रतिशत, बलात्कार में 8 प्रतिशत तथा गम्भीर चोट में 13 प्रतिशत की कमी आयी है।
  - चिन्हित 7236 माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी 93 प्रतिशत कार्यवाही की गयी। साथ ही पुरस्कार घोषित 3883 अपराधी गिरफ्तार/हाजिर अदालत एवं 216 पुलिस मुठभेड़ में मारे गये।
  - इस अवधि में 20 हजार से एक लाख रुपये तक के कुल 34 इनामी अपराधी गिरफ्तार किये गये। इसके अलावा 20 हजार से 5 लाख रुपये तक के इनामी कुल 37 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये जिनमें प्रमुख नाम दस्यु सरगना शिवकुमार उर्फ ददुआ, अम्बिका पटेल उर्फ ठोकिया, मुसाफिर यादव (बिहार), अंगद उर्फ सुग्रीव, नरेशा, उमर केवट, छोटा पटेल उर्फ शिवकरन आदि प्रमुख हैं।
  - प्रदेश में आईएसआई एजेन्टों, आतंकवादियों एवं शरणदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 23 को गिरफ्तार किया गया तथा 5 मुठभेड़ में मारे गये।

- जन शिकायतों के निराकरण के लिए मंगलवार के दिन **तहसील दिवस** प्रत्येक तहसील पर हर महीने दो बार एवं **थाना दिवस** माह में दो बार प्रथम तथा अंतिम शनिवार के दिन किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है।
- आज की चुनौतियों से निपटने एवं **पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम** उठाये गये हैं।
  - ➢ प्रदेश के सभी **थानों का उच्चीकरण करते हुए इनकी कमान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई** है।
  - ➢ कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए **आई0जी0जोन के सभी पद समाप्त करने का निर्णय** लिया गया तथा **इन्सपेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती अब सीधे पुलिस मुख्यालय से** जिलों में होगी। शासन द्वारा प्रदेश के सभी थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा प्रदेश की राजधानी **लखनऊ में पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था का एक नया पद** सृजित किया गया है।
  - ➢ नई व्यवस्था में लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी एवं मुरादाबाद रेंज में आई0जी0 स्तर के अधिकारी तैनात होंगे और इन जनपदों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर डी0आई0जी0 स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे–जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ही कहा जायेगा। प्रदेश की बाकी रेन्जों में वर्तमान की तरह ही डी0आई0जी0 रेन्ज में तैनात रहेंगे और इनसे सम्बन्धित रेन्ज के जिलों में एस0एस0पी0 तथा एस0पी0 की व्यवस्था पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
  - ➢ पुलिस अधिकारियों एवं अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई। पुलिस अधिकारियों एवं अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के सभी स्थानान्तरण **सिविल सर्विसेज़ बोर्ड** के माध्यम से किये गये।
- महिलाओं के उत्पीड़न, अत्याचार एवं अपराध की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु तथा कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से **प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थानों की स्थापना** का निर्णय लिया गया है। 42 जनपदों में महिला थाना इस वर्ष स्थापित किये जा चुके हैं। शेष 29 जनपदों में महिला थाने स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर।
- विगत कई वर्षों से पुलिस जनशक्ति में काफी कमी थी जिसके कारण अधीनस्थ पुलिसकर्मियों पर कार्य का काफी अधिक दबाव रहता था। थानों में पुलिस बल की कमी को देखते हुए सभी शहरी तथा ग्रामीण **थानों के नियतन में बढ़ोत्तरी** की गई है।

- पुलिस जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत कान्स्टेबिल के 1,51,765, हेड कान्स्टेबिल के 40,824, उप निरीक्षक के 7,145, निरीक्षक के 1,017, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 3,152 तथा चतुर्थ श्रेणी के 118 इस प्रकार पुलिस बल में कुल 2,04,021 नये पद सृजित किये गये हैं।
- दो–तीन साल पहले हुई पुलिस भर्ती में गड़बड़ियों को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में **पुलिस बल की भर्ती के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था** भी लागू की गई है। **पुलिस भर्ती एवं प्रोमोशन बोर्ड का गठन** किया गया है।
- अभी तक पुलिस बल के किसी भी संवर्ग के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं बनी थी और न ही भर्ती की कोई पारदर्शी व्यवस्था निर्धारित थी। **पहली बार पुलिस बल के विभिन्न संवर्गों के लिए सेवा नियमावली प्रख्यापित** की गई है।
- आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। **नवम्बर, 2007 में ही आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन** किया गया था। आतंकवादी अभिसूचनाओं के संकलन, इससे जुड़े अभियोगों की विवेचना और उसके विचारण के लिए इस दस्ते को पूरी तरह उत्तरदायी बनाया गया है। यह दस्ता पूरी तरह विकसित हो चुका है और इसने विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखते हुए अनेक सफलतायें हासिल की हैं।
- अभिसूचना संगठन को पुनर्गठित और सुदृढ़ करते हुए **अभिसूचना का एक अलग संवर्ग गठित करने का निर्णय** लिया गया है।
- फिदायीन हमलों जैसी घटनाओं से निपटने के लिए **एन0एस0जी0 कमाण्डो की तर्ज पर दो हजार कमाण्डो ट्रेनिंग की तर्ज पर दो हजार कमाण्डो बल भी तैयार करने का निर्णय**। इसके लिये प्रदेश में कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जायेगा। रिटायर्ड सैनिकों की चार वाहनियों के गठन का प्रस्ताव।
- बड़े, असरदार एवं विभिन्न पदों पर पदासीन ऐसे व्यक्ति एवं लोकसेवक जो अपनी पहुंच व पद का दुरुपयोग कर सफेदपोश की आड़ में गंभीर आर्थिक अपराध करते हैं, को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में **अन्तर्विषयक विशेष अनुसंधान दल' (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम–एसआईटी)** का गठन कर इसे स्वतंत्र विवेचना एवं जांच एजेन्सी के रूप में एडीजी की अध्यक्षता में जांच/विवेचना का कार्य सौंपा गया है।
- **स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0)** को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए दो नये ज़ोन क्रमशः पूर्वांचल में वाराणसी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले में गठित किये गये हैं।

इसके अलावा गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, आगरा और मेरठ में इसकी फील्ड इकाइयां पहले से ही कार्यरत हैं।

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश में '**राज्य सुरक्षा आयोग'** का गठन किया गया है। राज्य में दक्ष, प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिस बल विकसित करने के लिए नीति–निर्देश/मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने हेतु राज्य सरकार को सलाह देने, पुलिस बलों के प्रदर्शन का सामयिक मूल्यांकन करने तथा पुलिस बलों के निरोधात्मक कार्यों व सेवोन्मुख कार्यों के प्रदर्शन हेतु सुझाव देने सम्बन्धी कार्य आयोग को सौंपे गये।
- मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत शमन/मौके पर जुर्माने से मिली धनराशि और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु **उत्तर प्रदेश यातायात प्रबन्धन निधि** स्थापित की गई।
- प्रदेश में कार्यरत पुलिस की सभी इकाइयों में तैनात सभी स्तर के अर्ह राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए **'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक'** पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया जो प्रतिवर्ष अधिकतम 3 पात्र व्यक्तियों को प्रदान किया जायेगा।
- अग्निशमन सेवा कर्मियों की जोखिम भरे कार्य के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की भांति 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- प्रदेश की अग्निसुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 30 नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- जेलों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से **'कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग' गृह विभाग के नियंत्रण में** करने का निर्णय। प्रमुख सचिव गृह को ही प्रमुख सचिव, कारागार भी बनाया गया।
- वर्षों से आतंक का पर्याय बना हुआ कुख्यात दस्यु सरगना शिव कुमार उर्फ ददुआ, उसके गैंग का अंगद उर्फ सुग्रीव तथा छोटा पटेल उर्फ शिवकरन को मार गिराया गया। इसके साथ ही दस्यु सरगना ठोकिया का विश्वसनीय साथी मइयादीन भी मार गिराया गया। इस अवधि में कुल 52 पुरस्कार घोषित अपराधियों का पुलिस मुठभेड़ में सफाया किया गया।
- प्रदेश में पहली बार आई0एस0आई0 एजेंटों/आतंकवादियों/ शरणदाताओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए 11 आतंकवादियों, जिनमें 6 हूजी के आतंकवादी व 3 शरणदाता शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया। 16 नवम्बर, 2007 को एस0टी0एफ0 ने प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन

जैश–ए–मोहम्मद के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद किये।

- मोबाइल फोन की चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी में **मोबाइल फोन रिकवरी सेल** का गठन किया गया।
- महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकांश जनपदों में **महिला हेल्प लाइन** का गठन। सरकार द्वारा ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास है जिसमें महिलाएं देर रात में घर से बाहर निकलने पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।
- पुलिस में जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने के लिए थानाध्यक्षों के पदों पर 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति /जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े भी शामिल हैं) और अपर कास्ट के 50 प्रतिशत के अधिकारियों की तैनाती की गयी।
- पुलिस अफसरों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाई इस उद्देश्य के तहत की गयी है कि आने वाले दिनों में कोई भी अधिकारी कानून से खिलावाड़ करने की हिम्मत न कर सके।
- **'अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियिम'** के अन्तर्गत मामलों के तेजी से निस्तारण हेतु 56 जिलों में फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया। इस अधिनियम से कोई छेड़–छाड़ नहीं करे, इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार ने सख्त निर्देश दिए और इसे पूरी निष्ठा के साथ लागू करने के लिए डी0जी0पी0, आई0जी0 जोन, डी0आई0जी0 रेंज, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को भी निर्देश जारी किए गए।
- प्रदेश के संवेदनशील 20 कारागारों में बाहरी गेट पर चेकिंग पी0ए0सी0 से कराये जाने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। कारागारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया कि कारागारों में लगाये गये पी0ए0सी0 कर्मियों को प्रत्येक माह में पुराने पी0ए0सी0 कर्मियों के स्थानान्तरण नये पी0ए0सी0 कर्मियों की तैनाती नियमित रूप से की जाए।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के आपत्तिजनक कार्टून दिखाने वाली वेबसाइटों को बंद करने का अनुरोध किया।
- ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ तथा लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया।

- महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्य सरकार ने पत्र लिखकर केन्द्र से उत्तर भारतीयों की सुरक्षा का अनुरोध किया।
- पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जनपद आगरा के ताजगंज क्षेत्र में **टूरिस्ट पुलिस स्टेशन** स्थापित किया गया है।
- आगरा मण्डल में अलग से आई0जी0 पुलिस जोन बनाया गया। कानपुर से आगरा की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल हो रहा था। इसको दृष्टिगत् रखते हुए आगरा मण्डल में अलग से आई0जी0 पुलिस जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के कार्मिकों को उ0प्र0–नेपाल सीमा के 15 किमी के अन्दर तक सर्च, सीजर एवं अरेस्ट करने के अधिकार वापस लिये जाने का निर्णय किया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए अनेक घोषणाएं की गईं। पौष्टिक आहार भत्ते में 50 रुपये की वृद्धि। अंशकालिक सफाईकर्मियों का पारिश्रमिक दोगुना करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समान रूप से 600 रुपये किया गया।
- आतंकी/नक्सली घटनाओं एवं साहसिक कर्तव्यों के दौरान मारे गये पुलिसकर्मियों की विधवाओं को आवंटित आवास में निःशुल्क रहने की सुविधा।
- ठोकिया को मुठभेड़ में मार गिराने वाले 12 पुलिसकर्मियों को आउट–ऑफ–टर्न प्रोन्नति तथा 14 पुलिसकर्मियों को 3–3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।
- थानों, चौकियों, पी0ए0सी0 बटालियन, जनपदों के प्रभारी, पुलिस अधीक्षकों के निवास/गोपनीय कार्यालय व पुलिस लाइन के अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।
- देश में आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में 01 लाख 58 हजार 608 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का फैसला लिया गया।
- पुलिस भर्ती में हर स्तर पर पारदर्शिता बरतने के कड़े निर्देश। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्नपत्र के सही उत्तर वेबसाइट पर डाले जाने का निर्णय। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 शीट की कार्बन कापी अपने साथ ले जाने की अनुमति।
- आतंकवादी एवं अपराधिक तत्वों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए ए0टी0एस0 को चार लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं फैजाबाद जोन में बांटने का निर्णय।

- पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों एवं उपकरणों आदि से शीघ्र लैस करने के उद्देश्य से इन सभी हथियारों एवं उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय।
- उपकरणों को खरीदने की व्यवस्था फिलहाल राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से करा रही है, लेकिन साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस फोर्स आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गयी है। इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर 555 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुरोध किया गया है।
- पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुये अब थाना दिवस माह में दो बार प्रथम तथा अंतिम शनिवार को आयोजित करने का निर्णय।
- प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ जिस दिन भी घटना घटेगी, सम्बन्धित जिले के एस0पी0/ए0एस0पी0 को उसी दिन मौके पर जाने के निर्देश तथा उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में क्षेत्र के आई0जी0/डी0आई0जी0 द्वारा घटना स्थल पर जाकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के निर्देश।
- अनुसूचित जाति के हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामले पर डी0जी0पी0 को मौके पर जाकर मुख्यमंत्री को उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।
- अनुसूचित जाति के लोगों के वर्षों से न्यायालयों में लम्बित जमीन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण 15 जुलाई, 2009 तक सुनिश्चित करने का निर्णय।
- तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाने का निर्णय।
- प्रत्येक तहसील पर हर महीने दो बार तहसील दिवस आयोजित किये जाने के निर्देश जारी।
- विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिये सेक्टर प्रणाली लागू। जन समस्याओं के निस्तारण तथा संवेदनशील पुलिस प्रशासन की समीक्षा हेतु प्रदेश 26 सेक्टरों में विभाजित। सेक्टरों का प्रभार अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया।
- कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर एवं प्रभावी बनाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा जिलों का स्वयं आकस्मिक निरीक्षण।

राजस्व

- प्रदेश में आवंटन योग्य भूमि को चिन्हित करने एवं उसका आवंटन पात्र व्यक्तियों को किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

- समाप्त किये गये चार मंडलों एवं नौ जिलों को वर्तमान सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया गया।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में आवास स्थल आवंटन में तथा कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन के पारस्परिक वरीयताक्रम में संशोधन करते हुए सर्वसमाज के गरीब लोगों को इसमें भागीदारी एवं लाभ दिलाने का निर्णय।
- जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर को विभाजित करके नई तहसील भीटी का सृजन। नई तहसील का मुख्यालय कस्बा भीटी रहेगा, जो जनपद मुख्यालय से लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर है।
- जनपद मथुरा में महावन, सहारनपुर में रामपुर मनिहारन, सुल्तानपुर में जयसिंहपुर नामक नई तहसीलों का सृजन। इन तहसीलों के मुख्यालयों का नाम नवसृजित तहसीलों के नाम पर ही।
- जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली को नई तहसील बनाने का निर्णय।
- रामपुर जनपद में टांडा को नई तहसील बनाने का निर्णय।
- जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली को जनपद फैजाबाद में शामिल करने का निर्णय। रुदौली से बाराबंकी का जनपद मुख्यालय 60 कि0 मी0 दूर है, जबकि फैजाबाद का मुख्यालय मात्र 40 कि0मी की दूरी पर है। कम दूरी के कारण जनसामान्य को फैजाबाद पहुंचने में सुगमता होगी।
- जनपद हाथरस का नाम परिवर्तित कर भगवान बुद्ध की मां महामाया के नाम पर महामाया नगर कर दिया गया है। वर्ष 1997 में मुख्यमंत्री कु0 मायावती ने ही महात्माबुद्ध की आदरणीया मां महामाया के नाम पर एक नये जनपद महामाया नगर के सृजन की घोषणा की थी और उसी के अनुसार महामाया नगर जनपद का सृजन किया गया था। बाद में वर्ष 1998 में जनपद महामायानगर का नाम बदलकर हाथरस कर दिया गया। वर्ष 2002 में जनपद हाथरस का नाम परिवर्तित कर पुनः जनपद महामायानगर किया गया था जिसे वर्ष 2006 में दूसरी बार परिवर्तित कर पुनः हाथरस कर दिया गया। इस जनपद में हाथरस, सिकन्दराराऊ, सादाबाद और सासनी यह चार तहसीलें शामिल हैं।
- ग्राम सभा की भूमि पर 13 मई, 2007 तक काबिज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खेतिहर महदूरों के अनाधिकृत कब्जों को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके कारण ऐसे भूमिहीन और मजदूर जो वर्षों से अधिकार विहीन थे, उन्हें वाजिब हक मिला।
- कृषि भूमि कब्जों के विनियमितीकरण अभियान के अंतर्गत 13 मई, 2007 के पूर्व के 7001 अवैध कब्जेदारों का पता लगाया गया और 4735 लाभार्थियों के कब्जे नियमित किये गये।

- पट्टे के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पुनः प्राथमिकता सूची पर लाया गया। वर्ष 2004 में उन्हें पट्टे के आवंटन प्राथमिकता से हटा दिया गया था। नये निर्णय के अनुसार अब सर्वप्रथम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दूसरे नम्बर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और तीसरे नम्बर पर गरीबी रेखा से नीचे के सवर्ण लोगों को भी पटटा आवंटन में स्थान देने का निर्णय लिया गया।
- परगना अधिकारियों को दिये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों को प्रभावी बनाया गया। पट्टे द्वारा आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2002 में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री कु0 मायावती ने ही परगना अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया था, परन्तु बाद में उसे प्रभावी नहीं किया जा सका।
- ग्राम सभा कृषि भूमि पर 165,416 भूमिहीनों को 36700.53 है, भूमि का पट्टा वर्ष 2007 से वर्ष 2009 के बीच आवंटित।
- जबरन कब्जा करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 7896 मुकदमें दर्ज किये गये और उनमें से 1079 मामलों में निर्णय भी सुनाया गया।
- जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत 230893 परिवारों को आवास स्थल उपलब्ध कराये गये।
- ग्राम सभा भूमि में पट्टाधारकों की भूमि पर 1,55,537 अवैध कब्जों में से 149265 अवैध कब्जों को हटाया गया।
- विगत दो वर्षों में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण। इससे आम जनता को खतौनी की नकल तथा अन्य अभिलेख बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।
- साहूकारों से कर्ज लेने वाले लोगों को शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम–2008 लागू। उत्पीड़न करने वाले साहूकारों को 5000 रुपये का जुर्माना तथा तीन वर्ष की सजा।
- अलीगढ़ को प्रदेश का 18वां मण्डल बनाया गया। इस नये मण्डल में महामायानगर, एटा, अलीगढ़ तथा कांशीराम नगर (कासगंज) जिले शामिल होंगे। इस मण्डल का मुख्यालय अलीगढ़ में होगा। अब आगरा मण्डल में मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी जिले ही होंगे।
- कासगंज को कांशीराम नगर के नाम पर नया जिला बनाया गया। इस नवसृजित जिले में कासगंज, पटियाली तथा नवगठित तहसील सोरों को शामिल किया जायेगा और इसका मुख्यालय कासगंज होगा। इसी प्रकार एटा जनपद की कासगंज तहसील का पुनर्गठन करके

तहसील सोरों का गठन किया जायेगा जिसमें सोरों एवं सहावर विकास खण्ड शामिल किये जायेंगे। इसी प्रकार एटा के ब्लाक पटियाली में आने वाले 8 गांवों को अब ब्लाक जैथरा में शामिल किया जायेगा। एटा तहसील के निधौली कलाँ विकास खण्ड़ को जलेसर तहसील में शामिल किया गया।

- नवसृजित जनपद कांशीराम नगर की तहसील सोरों के स्थान पर नई तहसील सहाबर का सृजन।
- जनपद फतेहपुर व कौशाम्बी का पुनर्गठन।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 में संशोधन हेतु विधेयक का प्रस्ताव मंजूर जिसके अनुसार लड़कियों/पुत्रियों को भी पुत्रों के साथ अब कृषि भूमि पर वारिसाना हक मिलेगा।

विश्वस्तरीय अवस्थापना एवं यातायात सुविधाओं का विकास

- सरकार ने प्रदेश में विकासयुक्त वातावरण पैदा करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अवस्थापना की प्राथमिकताएं तय करते हुए ऊर्जा क्षेत्र के विकास, क्षेत्रीय कृषि एवं रोजगार अवस्थापना विकास केन्द्र, विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना सुविधाओं के विकास, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था और नगरीय पुनरुत्थान पर विशेष बल दिया गया।
- किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा अब किसी भी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। इसके लिए निवेशकों को भू–स्वामियों से सीधे एवं स्वतः बात करनी होगी और समझौते के आधार पर जमीन लेना होगा। आवश्यकता होने पर सरकार टुकड़ों में जमीन अधिग्रहण कर सकेगी।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय। निर्णय के अनुसार ग्रेटर नोएडा–बलिया एक्सप्रेस वे परियोजना एवं कियान्वित की जाने वाली लिंक एक्सप्रेस वे परियोजनाओ ंके स्वामित्व एवं कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उपीडा) के गठन का निर्णय।
- प्रदेश में नई मध्यम मार्गीय नयी अर्थनीति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर

लागू की गयी। यह अर्थनीति किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने के स्थान पर व्यावहारिक एवं यथार्थवादी है।

- सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों के कार्यालयों में अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों में दिये जाने वाले रोजगार में आरक्षण लागू। Out-sourcing से उत्पन्न कुल रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 02 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किया जायेगा।

- पूरे प्रदेश में विश्व स्तरीय, प्रवेश नियंत्रित सड़कों का जाल फैलाकर तेज आवागमन सुविधा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय तकनीकी से निर्मित होने वाले वाराणसी–बलिया से नोएडा तक **''गंगा एक्सप्रेस–वे''** की 1000 कि0मी0 लम्बी आठ लेन की एक्सप्रेस–वे योजना का कार्य तेजी से प्रगति पर। इसके पूरा होने पर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के बीच यात्रा का मौजूदा समय 20–24 घण्टे से घटकर मात्र आठ घण्टे रह जायेगा, जिससे समय और ईंधन में काफी बचत होगी। परियोजना हेतु भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना का विकास निजी निवेश के आधार पर।

- गंगा एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीनों से विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के लिए एक अत्यन्त उदार पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति का निर्णय। इस नीति के तहत आर्थिक सहायता और मुआवजा राशि दी जाने की व्यवस्था है। इससे अच्छा पुनर्वास पैकेज कभी पूर्व में नहीं दिया गया। जमीन आपसी समझौते के आधार पर ली जा रही है, इसके साथ ही इस परियोजना में किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में फायर स्टेशन, थानों तथा चौकियों की स्थापना का निर्णय।

- विश्व स्तरीय प्रवेश–नियंत्रित सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाये जाने की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आठ लेन का ताज एक्सप्रेस–वे और नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस–वे को राज्य के बड़े नगरों से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना पर क्रियान्वयन।

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक की तकनीकी सहायता परियोजना में भागीदारी के लिये केन्द्र सरकार से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

- एस0ई0जेड0 नीति को संशोधित करते हुए नयी नीति जारी की गई है जिसके तहत विकासकर्ता

के चयन हेतु पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्द्धा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने एवं किसान की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किये जाने का निर्णय।

- गौतमबुद्ध नगर जनपद के जेवर नामक स्थान में **'ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट'** के निर्माण का निर्णय।
- **ताज एक्सप्रेस–वे** के विकास के लिए नीति निर्धारित, ताज औद्योगिक विकास प्राधिकरण उच्च गुणवत्ता एवं त्वरित विकास की गतिविधियों हेतु नोडल एजेंसी नामित, छः लेन के बनने वाले ताज एक्सप्रेस–वे में गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, महामायानगर, मथुरा व आगरा का तेजी से विकास संभव होगा। इस योजना में भूमि अधिग्रहीत से प्रभावित होने वाले परिवारों के सदस्य को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय।
- उ0प्र0 में अर्बन डेवलपमेन्ट फण्ड तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी की स्थापना हेतु टी0एन0यू0आई0एफ0एस0एल0 की कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राप्त करने का निर्णय।
- लखनऊ व कानपुर नगर में यातायात को बेहतर बनाने के लिये मेट्रो रेल परियोजना के लिये प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ।

औद्योगिक विकास

- आर्थिक विकास का लाभ समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने के लिये वर्तमान सरकार कृत संकल्प।
- औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अवस्थापना संरचना के सृदृढ़ीकरण एवं विकास के महत्व को देखते हुए अवस्थापना विकास विभाग की स्थापना। मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- अवस्थापना परियोजनाओं के समुचित क्रियान्वयन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता (पी0पी0पी0) बढ़ाने के लिए निजी पूँजी निवेशकों के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया/नीति निर्धारित।
- सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत समग्र नगरीय पुनरुत्थान, बेहतर विद्युत व्यवस्था, सृदृढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवा, प्राविधिक शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, राज्य मार्गों के उच्चीकरण/अनुरक्षण की परियोजनाओं का चिन्हांकन आदि के लिए कन्सल्टेंट/विकासकर्ता का चयन।

- प्रदेश में नयी मध्यम मार्गीय अर्थनीति लागू ,पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नयी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। निजी क्षेत्र में संचालित परियोजनाओं व उद्यमों में सरकार की भागीदारी अधिकतम 49 व न्यूनतम 11 प्रतिशत निर्धारित की गई। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप (पी0पी0पी0) मॉडल पर विकसित होने वाले क्षेत्रों व उद्यमों में राज्य कर्मियों की भांति आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- पी0पी0पी0 मॉडल के उद्यमों व परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना विकास परियोजनाओं एवं विनिवेशित इकाइयों में स्वैच्छिक आरक्षण की व्यवस्था। यदि राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग द्वारा कोई भूमि, अनुदान राज्य सहायता अथवा परिसम्पत्ति दी जायेगी, तो ऐसे निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से होने वाले स्वैछिक करारनामें में यह भी सम्मिलित किया जायेगा कि इन परियोजनाओं में सृजित कुल रोजगार में से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों, 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े भी शामिल हैं, तथा 10 प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाय। देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है।
- विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) की स्थापना हेतु 16 परिक्षेत्रों की विज्ञप्ति जारी और 15 पर औपचारिक अनुमोदन निर्गत।
- नोएडा में मेट्रो रेल का संचालन जून, 2009 तक प्रारम्भ हो जायेगा। नोएडा एवं ग्रेडर नोएडा मेट्रो के विस्तारीकरण पर लगभग रु. 3000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 3002 रुपये करोड़ का पूँजी निवेश आकर्षित किया गया।
- नोएडा में उद्यमियों को सुगम यातायात सुविधा सुलभ कराने के लिए तीन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें आवागमन के लिए चालू किया जा चुका है। दो फ्लाई ओवर तथा अन्डरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर। 6 और फ्लाई ओवर व अन्डरपास तथा 10 मल्टीप्लैक्स पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित।
- वैश्विक मंदी के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा वर्तमान उद्योगों तथा भविष्य में लगने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु प्रचलित नीति में समय के अनुसार परिवर्तन किए गए, जिनमें मुख्य रूप से अधिभोग

प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्माण के प्रतिशत में शिथिलता दी गई, किरायेदारों की संख्या में वृद्धि तथा किराया की अनुमति प्रदान करने की नीति में सरलीकरण किया गया तथा कम्पनियों को अपनी सब्सिडरी कम्पनी के माध्यम से परियोजना लगाने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था।

- दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर का निर्माण प्रस्तावित। जिसमें इस क्षेत्र के बोडाकी रेलवे स्टेशन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जंक्शन के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय। इस परियोजना के क्रियाशील होने के पश्चात् ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी स्टेशन से मुम्बई तथा कोलकाता का सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 13 मई 2007 से 31 मार्च 2008 तक कुल 1894 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया जबकि 01 अप्रैल 2008 से मार्च, 2009 तक 1933 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया। वर्ष 2007–08 में अर्जन से प्रभावित कृषकों को प्रतिकर एवं अर्जन व्यय हेतु 685 करोड़ रुपये की धनराशि और वर्ष 2008–09 में 1929 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई।

- ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप होने वाले लाभों में अर्जन से प्रभावित कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी। इसके लिए वर्ष 2006–07 में दिये गये प्रतिकर 385 रुपये प्रतिवर्ग मीटर को बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिवर्ग मीटर किया गया। पुश्तैनी कृषकों को उनके अर्जित क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत के समतुल्य विकास भूमि भावी आबादी विस्तार हेतु दी गयी।

- कृषकों की आबादी सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण आबादी समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में किये जाने की व्यवस्था। प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 17.5 प्रतिशत भवन/भूखण्ड ऐसे कृषकों के लिए आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिनकी भूमि अर्जित की गयी।

- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने एवं पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए 13 मई 2007 से 31 मार्च 2008 तक 488 भूखण्डों (7.30 लाख वर्ग मीटर भूमि) का आवंटन, जिसके माध्यम से 2492 करोड़ का पूंजीनिवेश आकर्षित किया गया। इसी प्रकार गत वित्तीय वर्ष में कुल 106 भूखण्ड (3.92 लाख वर्ग मीटर भूमि) आंवटित करके 510 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकृष्ट किया गया।

- राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 2007–08 में 1800 एकड़ भूमि का अर्जन एवं 147.11 करोड़ रुपये भूमि अर्जन में व्यय के सापेक्ष 802 एकड़ भूमि अधिग्रहीत। वर्ष 2008–09 में 1500

एकड़ भूमि के अर्जन एवं 250 करोड़ रुपये भूमि अर्जन में व्यय के सापेक्ष 1903.5 एकड़, 12 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर।

- आगरा के तीन ग्रामों की 250 एकड़ भूमि पर लेदर पार्क की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर।
- ट्रोनिका सिटी विस्तार हेतु ग्राम पावी सादिकपुर की 123.17 एकड़ तथा मसूरी–गुलावटी रोड औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ग्राम देहरा की 163.37 एकड़ तथा ग्राम उदयरामपुर नगला की 101.22 एकड़ में भूमि अधिग्रहण प्रगति पर।
- नैनी (इलाहाबाद) औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उद्योग विभाग की 580.61 एकड़ भूमि हस्तान्तरित।
- उ0प्र0 भू–अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर का निर्धारण एवं अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली के अन्तर्गत काश्तकारों से वार्ता कर आम सहमति के आधार पर पर दरें निर्धारित करने की व्यवस्था।
- औद्योगिक क्षेत्र मेरठ–दिल्ली बाई पास (मेरठ), ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद), बबराला (बदायूं), कोसी कोटवन (मथुरा), लेदर पार्क आगरा, भौंती–मन्धना बाईपास (कानपुर), सण्डीला (हरदोई) एवं नैनी (इलाहाबाद) में औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र में विकास कार्य प्रस्तावित/प्रगति पर।
- सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा कुल 14288.21 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 33 भूखण्ड औद्योगिक/वाणिज्य प्रयोज्य के लिए आवंटित।
- निर्यात संवर्धन नयी तकनीकी आधारित परियोजना के सृजन के अन्तर्गत भदोही कारपेट बेल्ट में मार्डन डाई हाउस की स्थापना के लिए 908.20 लाख रुपये की परियोजना तैयार। डाईंग हाउस के संचालन के लिए निर्यातकों/उद्यमियों की स्पेशल परपज विहिकल का गठन करने की राज्य सरकार की सैद्धान्तिक सहमति।
- भदोही में निर्मित होने वाले कालीनों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु 517 लाख रुपये लागत से मार्डन कारपेट बैकिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार। इस परियोजना का क्रियान्वयन स्पेशल परपज विहिकल के माध्यम से होगा।
- गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सेक्टर–15 में लगभग 105 एकड़ भूमि पर फूड पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर। इसमें औद्योगिक इकाइयों को फूड प्रोसोसिंग के क्षेत्र में आधुनिकतम अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होंगी। ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान,

के अन्तर्गत पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा गीडा के सेक्टर–23 में एक 400/220 के0वी0 विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण पूरा कर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था। गैलेण्ट इस्पात द्वारा 335 करोड़ रुपये से इंट्रीग्रेटड स्टील प्लान्ट एवं इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स की स्थापना 113 एकड़ भूमि पर की जा रही। गीडा में स्थापित हो रहे वृहदृ औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का निर्माण कार्य पूर्ण।

लघु उद्योग एव निर्यात प्रोत्साहन

- गत दो वर्षों में कुल 58286 लघु, 28 मध्यम तथा 10 वृहत् उद्योग स्थापित, जिनमें कुल 291969 व्यक्तियों का रोजगार सृजन।
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख रुपये, उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/सयंत्रों के क्रय में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये, ब्याज उपादान में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रुपये, आई0एस0ओ0/ आई0एस0आई0 प्राप्त किये जाने पर व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये तथा परामर्श प्राप्त करने पर व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रुपये की सुविधा देने की व्यवस्था की गयी। इस योजना के तहत कुल 149 इकाइयों को तकनीक की खरीद, उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु लगभग 250 लाख रुपये की धनराशि विपरीत की गयी।
- उ0 प्र0 की रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु प्रचलित नीति में सुधार के लिए विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों से अध्ययन कराया जा रहा है।
- रोजगार सृजन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर, टेलरिंग, ब्यूटीशियन और फैशन डिजाइनिंग आधारित ट्रेडों में करायी गयी। प्रशिक्षणार्थियों को 1250 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड दिया गया। गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में लगभग 150 लाख रुपये की धनराशि से लगभग 3000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- प्रदेश के वृहत औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 16 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण।

- हस्तशिल्प क्षेत्र के बेहतर एवं आधुनिकतम तकनीकी तथा कौशल विकास एवं मांग के अनुरूप नई–नई डिजाइन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हस्तशिल्प बाहुल्य 23 जनपदों में हस्तशिल्प के कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये। इनमें 63 लाख रुपये व्यय करके लगभग 2000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- लघु क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत चयनित क्लस्टर्स को सॉफ्ट इन्टरवेन्शन हेतु रु0 10 लाख रुपये एवं हार्ड इन्टरवेन्शन हेतु प्रतिदर 80 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान। दो क्लस्टर परियोजनाएं मे0 कापरेट क्लस्टर भदोही तथा मे0 ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी को धनराशि स्वीकृत।
- वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में दिल्ली से विस्थापित लगभग 360 लघु उद्योग जिला गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में स्थापित।
- व्यक्तिगत/साझेदारी उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 9846 इकाईयों के माध्यम से 79820 रोजगार सृजित।
- आर्थिक मन्दी के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु 06 जनवरी, 2009 को नई नीति, जिसका लाभ औद्योगिक ईकाईयों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।
- चिन्हित उद्योगों को स्टैम्प ड्यूटी से छूट तथा निबन्धन शुल्क में भी रियायत।
- पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक उनके द्वारा दिये गये बिक्री कर के बराबर धनराशि पर ब्याज मुक्त ऋण।
- त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में 552 इकाईयों को सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- प्रदेश के अच्छे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गत दो वर्षों में 182 औद्योगिक इकाईयों को स्टार कैटगरी अंलकरण हेतु चयनित कर सम्मानित किया जा चुका है।
- चालू वित्तीय वर्ष में 33000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की स्थापना का लक्ष्य। इससे लगभग 1,30,000 व्यक्तियों को नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- लघु उद्योगों को सभी प्रकार की औद्योगिक परिसंरचनाएं प्रदान करके विकसित करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में 78 क्लस्टर्स का विकास करने का लक्ष्य।
- चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में 6500 नई ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य, इससे 52000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

हथकरघा

- एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में विभिन्न जनपदों में 25 क्लस्टरों का चयन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 बुनकर आच्छादित हुए।
- हेल्थ बीमा के अन्तर्गत लगभग 371617 हेल्थ कार्ड निर्गत किये गये। इस योजना में बुनकर, बुनकर की पत्नी एवं दो बच्चों को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा।
- गरीब बुनकरों की लड़कियों की शादी में अनुदान देने और बुनकरों को पक्का शेड बनाकर देने की व्यवस्था।
- पावरलूम विकास योजना को प्रभावी बनाने का फैसला, जिससे 5000 से अधिक पावरलूम बुनकर लाभान्वित होंगे।
- शिक्षा सहयोग योजना में बुनकरों के बच्चों को हर तिमाही 300 रु0 छात्रवृत्ति की सुविधा। यह लाभ प्रति बीमित परिवार के दो बच्चों तक सीमित है। गत वित्तीय वर्ष में लगभग 15,000 बुनकरों को बीमित किया गया।
- **मा0कांशीराम राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना** शुरू करने का निर्णय। हथकरघा विभाग द्वारा इस योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में एक प्रथम, एक द्वितीय एवं एक तृतीय तथा परिक्षेत्रीय पुरस्कारों में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार बुनकरों के उत्पादों का चयन करके दिया जायेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार में 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 21 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार में 18 हजार रुपये, शील्ड, प्रमाण पत्र व अंगवस्त्रम् प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार 13 परिक्षेत्रों में प्रथम पुरस्कार में 10 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 8 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार में 6 हजार रुपये सहित शील्ड, प्रमाण पत्र व अंगवस्त्रम् प्रदान करने की व्यवस्था की गई।
- चालू वित्तीय वर्ष में 30000 बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य। हथकरघा वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य 62 करोड़ मीटर का लक्ष्य। पावरलूम क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ग्राम स्तर तक जनता को उसके द्वार तक विभिन्न शासकीय एवं अन्य व्यापारिक सेवायें उपलब्ध

कराने के लिए 17909 जन सेवा केन्द्र स्थापना का कार्य प्रगति पर। इस योजना पर कुल लगभग 284 करोड़ रुपये व्यय होगा। ई–गवर्नेन्स के तहत यह एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित होगा, जिसके माध्यम से सरकारी निजी एवं सामाजिक संस्थायें एक ही डिलीवरी प्वाईन्ट से ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता परक सेवायें उपलब्ध होंगी। चरणबद्ध ढ़ग से लागू की जा रही इस योजना में अब तक लगभग 3500 जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्यपूर्ण, शेष प्रगति के विभिन्न चरणों में।

- ई–गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत राज्य के जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर तक 2 एमबीपीएस की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 885 केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर, जिसमें से लगभग 85 प्रतिशत केन्द्र पूर्ण रूपेण जनता के सीधे सम्पर्क में होंगे।

- राज्य के छः जनपदों–गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में 18.92 करोड़ रुपये की लागत से ई–डिस्ट्रिक्ट योजना पायलट बेसिस पर लागू। इस योजना में कुल 10 सेवायें/32 उपसेवाओं को जनपद स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा डोमिसाइल प्रमाण पत्र आदि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, शेष सेवायें उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर।

- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी 70 जनपदों को स्टेट वाइस एरिया नेटवर्किंग में सन्तृप्त।

- राज्य के समस्त विभागों के डाटा एवं सिटिजन सेवाओं को केन्द्रीकृत रूप से रखने के उद्देश्य से रिजरवायर के रूप में लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना का कार्य शुरू।

- ई–गवर्नेन्स सेवाओं को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से 10.75 करोड़ रुपये की लागत से केपेसिटी बिल्डिंग योजना आरम्भ।

- शासन स्तर के समस्त विभागों की वेबसाईट के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य पूर्ण।

- ई–प्रोक्योरमेन्ट योजना के तहत 05 विभागों–लोक निर्माण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंचाई विभाग तथा उद्योग निदेशालय में पायलट आधार पर ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुरू। इस प्रक्रिया से विभागों में कार्य कुशलता में तेजी, पारदर्शिता तथा सभी को सामान अवसर उपलब्ध होना सुनिश्चित।

शहरी अवस्थापना

- शहरों को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने एवं उनके संसाधनों की वृद्धि तथा बेहतर प्रबन्धन हेतु 'उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट फन्ड' एवं इसके प्रबन्धन हेतु **'उत्तर प्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी'** की स्थापना का निर्णय।
- शहरी गरीबों को राजकीय भूमि पर उनके आवासीय कब्जे को नियमित करार देते हुए 30 वर्ग मीटर तक की भूमि पर मालिकाना हक देने की **'सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक'** योजना प्रारम्भ।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रथम पुण्य तिथि 09 अक्टूबर, 2007 को उनके स्मृति में, शहरों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए **'मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना'** शुरू की गयी। इससे नगरीय क्षेत्रों में आवास, स्वच्छ पेयजल, सीवर, जल निकासी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण आदि मूलभूत सूविधायें चरणबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत नगर निगमों/नगर पालिका में वार्डों तथा नगर पंचायत क्षेत्रों का चयन करके उन्हें 16 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया कि पूर्व से सृजित सम्पत्तियों का समुचित रख–रखाव एवं मरम्मत हो सके, इसके लिए सम्बन्धित विभाग अपने बजट में वित्तीय व्यवस्था रखेंगे।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना का नाम परिवर्तित कर **मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना** के नाम से इस योजना का संचालन। इसके अन्तर्गत एक एक लाख एक हजार आवासों के निर्माण की योजना इस हेतु दो वर्षों में 1250 रु0 का प्रावधान।
- प्रदेश के लिए नई हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007' अनुमोदित। हाई–टेक टाउनशिप के लिये भूमि का अधिग्रहण यथासम्भव किसानों से परस्पर सहमति के आधार पर किया जायेगा।
- आदर्श नगर योजना का क्रियान्वयन कराये जाने का निर्णय। 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले छः नगरों यथा–लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा ऐतिहासिक महत्व के नगर मथुरा को चयनित किया गया है।
- हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हापुड़ तहसील के 12 तथा गाजियाबाद तहसील के 14 गांवों के कुल 26 गांवों को प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति।

- वर्तमान में विद्यमान बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण को विघटित करते हुए 02 विकास प्राधिकरणों–बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण का गठन।
- मुख्यमंत्री द्वारा भीमनगरी महोत्सव में आगरा में अवस्थापना सुविधाओं के लिये कई अरब योजनाओं का शिलान्यास एवं घोषणाएं। इसमें पेयजल, सीवर, गरीबों के लिये आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा एवं यातायात की सुविधाएं शामिल हैं।
- नगरों के सुनियोजित विकास हेतु 1827.21 करोड़ रुपये की 14 योजनाएं स्वीकृत।
- कानपुर शहर एवं ऐतिहासिक नगरी बिठूर के सर्वांगीण विकास हेतु 850 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाएं।
- लखनऊ महानगर के लिए 170 करोड़ रुपये की लागत से 345 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) का शिलान्यास किया गया।
- राजधानी लखनऊ के समग्र विकास हेतु 2500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं।
- वृन्दावन के सर्वांगीण विकास के लिए 250 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा वृन्दावन के प्रसिद्ध मुड़िया पूनो मेला के प्रान्तीयकरण का निर्णय लिया गया।
- कन्नौज के समग्र विकास के लिये 148 करोड़ की परियोजनाएं।
- वाराणसी के सम्पूर्ण विकास के लिए 800 करोड़ रु0 की विकास परियोजनाओं पर कार्य आरंभ।
- यमुना एक्सप्रेस–वे परियोजना के पिछड़े एवं अविकसित 42457 हे0 क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित कर लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया जायेगा।
- ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी।
- अयोध्या–फैजाबाद शहर के बहुमुखी विकास के लिये 233 करोड़ रु0 की विभिन्न विकास योजनाएं।
- मा0 श्री कांशीराम जी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री द्वारा 30 अरब रुपये की 158 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में एक लाख एक हजार मकान बनाने के कार्य।

- मुख्यमंत्री द्वारा मोहान रोड पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ जिला जेल के नये भवन, गोमती विस्तार योजना तथा लखनऊ में अमर शहीद पर बनने वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। इसके साथ ही बहुजन नायक पार्क, भारी संख्या में सेतुओं, मार्गों तथा एनेक्सी में मीडिया सेन्टर का लोकार्पण किया।

ग्रामीण अवस्थापना

- जिलों के अन्दर बुनियादी सुविधायें जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिये जाने को प्राथमिकता।
- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना पुनः **''डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना''** के नाम से प्रारम्भ की गई। पूर्व में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को प्रथम वरीयता पर संतृप्त किया गया। बाद में ग्राम सभा को इस विकास योजना की इकाई बनाते हुये इसका नाम **''डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना''** कर दिया गया है।
- पूर्व में सृजित नये जनपदों जिनमें अभी तक अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, इन जनपदों में विशेष रूप से राजस्व भवनों को पूर्ण करने की व्यवस्था की गई।
- प्रदेश के ग्रामों के समग्र विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से **''डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना''** के अन्तर्गत 3200 किमी, पक्के सम्पर्क मार्गों से एक हजार गावों को जोड़ने का निर्णय। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाली पांच–पांच तथा इसके बाद 10–10 ग्रामसभाओं को चयन करके सभी को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने का निर्णय। इस प्रकार पांच वित्तीय वर्षों में 17,100 ग्रामसभाओं तथा 1.2 लाख मजरों व राजस्व ग्रामों का भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का निर्णय।
- इस योजना में ग्राम सभाओं के चयन का मापदण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के बजाय सर्वसमाज की जनसंख्या होगी। साथ ही इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 13 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों का गुणवत्तापरक क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इनमें सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, नाली–खड़ंजा निर्माण, स्वच्छ पेयजल, इन्दिरा आवास योजना, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, निःशुल्क बोरिंग, स्वर्ण जयंतमी ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि भूमि आवंटन, सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु पट्टों का आवंटन, कुम्हारी कला हेतु पट्टों का

आवंटन, आवासीय पट्टों का आवंटन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को अनुदान तथा विकलांग पेंशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण, नवजात शिशुओं का टीकाकरण, पोलियो उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रामें में जन्म एवं मृत्यु दर के पंजीकरण को सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्रों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में सृजित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य भी कराया जायेगा।

- **'डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना'** के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में 1193 अम्बेडकर गांवों में खड़ंजा/नाली की निर्माण का कार्य पूर्ण।
- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण के लिए 1996.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत।
- इन्हीं वर्षों में चयनित 19,176 गांवों में अपूर्ण एवं अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए चिन्हित किये गये गांवों में से 18,221 गांवों को 11 विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जा चुका है।
- वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों के चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को विद्युतीकृत किया।
- योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण वर्ष 2008–09 हेतु 3,738 ग्राम सभायें चयनित की गई हैं। इनका संतृप्तीकरण 01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक करने का निर्णय किया गया। डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में चयनित ग्रामसभाओं की प्रगति सूचना तत्काल जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए वेब आधारित प्रणाली तैयार की गई है। इस प्रणाली को विभाग की वेबसाइट http://agvv.up.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है जिससे जनपदों से ऑनलाइन सूचना का प्रेषण संभव हो सकेगा।
- विगत दो वर्षों में वर्तमान की अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में कुल 5598 ग्राम सभाओं में उपर्युक्त सभी सुविधाएं एवं आधारभूत ढांचा सृजित किया गया है जिनके लिए 6501 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, 5556 कि0मी0 सी0सी0रोड, 9122.92 कि0मी0 नाली, खड़ंजा का निर्माण, 769084 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, 5056 ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल हेतु 42308 हैण्डपम्पों की स्थापना 22208 लाभार्थियों को आवासीय पट्टों का आवंटन, आवासहीनों को 258240 आवास एवं 23654 भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन तथा कुल 520358.20 लाख रुपये धनराशि व्यय की गयी।

- नक्सली समस्याओं के निराकरण के लिए तथा नक्सल प्रभावित गांवों को संतृप्त करने के लिए डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए 1114.93 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई।
- प्रदेश के लगभग एक लाख आठ हजार राजस्व गांवों में स्थाई सफाई कर्मियों की नियुक्तियों हेतु कार्यवाही प्रगति पर।
- गांवों में आर0सी0सी0 मार्गों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में चयनित ग्राम सभाओं में सीमेंट कंक्रीट मार्ग व पक्की नालियों के निर्माण के लिए समय सारणी बनायी गयी।
- पहले चरण में 4397 ग्राम सभाओं में से एक तिहाई ग्राम सभाओं में निर्माण कार्य किया जायेगा। इसके लिए 1173 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी।

रोजगार सृजन

- वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस योजनाएं बनाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर थोड़ी बहुत धनराशि देकर युवाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बजाय उन्हें स्वाभिमान से जीने के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करने की व्यवस्था की है।
- प्रदेश में 7 लाख बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते की जगह पक्की नौकरियाँ देने की व्यवस्था।
- राज्य में प्राथमिकता पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था। ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 731.43 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य और इस आधार पर राज्य में 125 लाख रोजगार की व्यवस्था की योजना।
- सभी सामान्य और गरीब जन तक रोजगार की व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे प्रदेश में लागू।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए फ्रेंचाइजी की व्यवस्था 10 जनपदों में प्रारम्भ कर पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय, जिससे गांवों में उपलब्ध तकनीकी रूप से दक्ष कम से कम 10,000 नवयुवकों को रोजगार की सम्भावना।

- सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग की भर्ती पर वर्षों से लगी रोक हटाई गयी।
- सभी राजस्व ग्रामों में स्थायी सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मियों के 1.08 लाख पद सृजित, जिसमें अब तक लगभग 85 हजार चयन पूर्ण।
- रोजगार की सम्भावना बढ़ाते हुये मा0 उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु मा0 न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 10 हजार रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय पर 95 लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के पद सृजन करने का निर्णय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के मार्ग निर्देश 2006 के अनुसार ग्राम स्तरीय कर्मियों को संविदा के आधार पर रखे जाने के लिये पूर्व प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय। ग्राम स्तरीय कर्मी 'पंचायत मित्र' अब 'ग्राम रोजगार सेवक' के नाम से जाने जायेंगे।
- प्रदेश में लगभग 1.70 लाख अध्यापकों की भर्ती। उच्च प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 58 साल से 60 साल करने का निर्णय लिया गया।
- विगत दो वर्षों में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 11581 ग्रामोद्योगी इकाइयाँ स्थापित करते हुये 93447 व्यक्तियों को रोजगार।
- सामान्य वर्ग की भर्तियां शुरू करने और अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मियों को परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देने के लिए निर्देश। पूर्ववर्ती सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के कर्मियों को परिणामिक ज्येष्ठता के लाभ से वंचित कर रखा था।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के 65115 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही विगत दो वर्षों में पूरी।
- निजी क्षेत्र में दो लाख रोजगार की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रोन्नति के उपरान्त प्रोन्नति श्रेणी में जो वरिष्ठता प्राप्त होगी, वह कायम रखने का निर्णय। जबकि वर्तमान सरकार के पूर्व, बाद में प्रोन्नत होने वाले अन्य वर्ग के व्यक्तियों के सापेक्ष उनको मूल संवर्ग की वरिष्ठता ही मिलती थी।
- वर्तमान सरकार द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक आरक्षण की ऐतिहासिक पहल। इसके तहत राज्य सरकार की सहायता से भविष्य में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं तथा विनिवेशित इकाइयों

आदि में राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके किसी भी विभाग या एजेंसी द्वारा कोई सुविधा, भूमि, अनुदान, राज्य सहायता अथवा परिसम्पत्ति दी जाये, तो उनके नियोक्ताओं से इस इकाइयों आदि में सृजित कुल रोजगार का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के धार्मिक अल्पसंख्यक व 10 प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण दिये जाने का निर्णय। देश में विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिये जाने की दिशा में किसी भी राज्य सरकार द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है।

- डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए 20 करोड़ रु0 की व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था का प्राविधान।
- प्रदेश के 5 जिलों – ज्योतिबाफुले नगर, चित्रकूट, चन्दौली, श्रावस्ती एवं संत कबीर नगर में बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के लिए पंजीयन केन्द्रों की स्थापना। लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर के सेवायोजन कार्यालयों को नेटवर्किंग से जोड़ा गया।
- प्रदेश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम **सवा करोड़** नये रोजगार सृजित करने की योजना।
- सवर्ण जातियों के गरीब लोगों को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही इसे संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की गयी।
- केन्द्र सरकार से देश भर में बैकलाग के पदों को भरने के लिए भी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है।
- धर्म परिवर्तन कर ईसाई अथवा मुस्लिम धर्म ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में अलग से अनुसूचित जाति की भांति आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया अनुसूचित जाति के वर्तमान आरक्षण को प्रभावित किये बिना इन लोगों को आरक्षण दिया जाये।

लोक निर्माण

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1792 करोड़ रु0 व्यय करके 2872 कि0मी0 में नयी सड़कों का निर्माण। 2868 कि0मी0 लम्बाई में उच्चीकरण का कार्य करते हुए कुल 1903 बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का नया कीर्तिमान।

- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने विगत दो वर्षों का टर्न ओवर लगभग 975 करोड़ रुपये रह और सेतु निगम 31 करोड़ रुपये का संचिल लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड गत दो वर्षों में 156 करोड़ रुपये के लाभ में रहा।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के नाम से एक पंचवर्षीय योजना घोषित की गयी है। इस योजना के तहत वर्ष 1995–96, 97–98 तथा 2002–03 में चयनित एवं असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों के कुल 30033 कि0मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त मार्गों का पुर्ननिर्माण व मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया गया।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से दस–दस ग्राम सभाओं का चयन किया गया। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 5601 ग्रामसभायें चयनित की गयी। पूर्व में संतृप्त 2030 ग्रामसभाओं को छोड़कर 3571 असंतृप्त ग्रामसभाओं हेतु 6409 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण करते हुये उन्हें पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया।
- गत दो वर्ष में चयनित अम्बेडकर ग्राम सभाओं के कुल 24475 कि0मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण व मरम्मत का कार्य कराया गया।
- मा0 कांशीराम जी नगरीय सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश में 615 कि0मी0 लम्बाई में नगरीय मार्गों का सुधार व उच्चीकरण किया गया।
- गत दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के चार मण्डलों में चयनित अम्बेडकर ग्राम सभाओं के आबादी वाले भागों के गलियारों में सीसी रोड व नाली का निर्माण कार्य पूर्ण करा कर 200 ग्राम सभाओं को संतृप्त कराया गया।
- अम्बेडकर ग्रामों व ग्रामसभाओं के अतिरिक्त जिला योजना सामान्य, आर0आई0डी0एफ0 एवं नक्सल योजना के अंतर्गत कुल 8837 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण का कार्य पूर्ण कराते हुये 2577 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया।
- राज्य योजना, राज्य सड़क निधि एवं केन्द्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत कुल 2873 कि0मी0 लम्बाई में राज्य, प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया।
- विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट–2 के अंतर्गत गत दो वर्षों में 1243 कि0मी0 लम्बाई में प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों व प्रमुख जिला मार्गों का सुधार व उच्चीकरण कराया गया।

- गत दो वर्षों में कुल 168 दीर्घ सेतुओं एवं 5 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कराया गया। 38 उपरिगामी सेतु निर्माणाधीन हैं। 28 रेलवे उपरिगामी सेतुओं हेतु 521 करोड़ का निर्माण कार्य की स्वीकृति कर धन जारी किया।
- गत वर्ष के कार्यकाल में 4693 ग्रामों, 3571 ग्रामसभाओं, 1903 बसावटों को जोड़ने एवं मार्गों के उच्चीकरण व सुधार हेतु 84126 कि0मी0 लम्बाई में सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पुनर्निर्माण व सुधार के कार्य कराये गये।
- भारत सरकार द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय से राष्ट्रीय मार्गों के सुधार तथा पुर्ननिर्माण के लिये 786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं राष्ट्रीय मार्गों पर विगत दो वर्षों में 417 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0एस0डी0बी0सी0 द्वारा सतह का सुधार 75 कि0मी0 लम्बाई को सिंगल लेन से दो लेन में चौड़ीकरण तथा 76 कि0मी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया।
- भारत सरकार से सहायता प्राप्त केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत राज्य व प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 799 कि0मी0 की 532 करोड़ लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गयी।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

- विद्युत उत्पादन एवं खपत के अन्तर को कम करने के लिए अधिकाधिक विद्युत उत्पादन पर बल।
- इस हेतु 1000 मेगावाट की अनपरा 'डी' तापीय परियोजना का कार्य प्रगति पर।
- 2012 तक बिजली उत्पादन के क्षेत्र में शत–प्रशित आत्मनिर्भरता की योजना।
- 2012 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में विकास का लक्ष्य निर्धारित।
- इस हेतु रुपये एक लाख करोड़ का निवेश।
- बारा एवं करछना तापीय परियोजनाओं के लिए गठित शैल कम्पनियों में राज्य सरकार के अंशपूंजी के विनियोजन को बढ़ाकर 35 करोड़ रु0 प्रति कम्पनी किये जाने की स्वीकृति।
- विगत दो वर्षों में 28 शहरों में 28 नई परियोजनाएं जिनमें रु0 540.57 करोड़ का निवेश।
- वर्तमान सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु बजट दोगुने से अधिक बढ़ाते हुए 9846 करोड़ रु0 कर दिया गया।

- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से लांग टर्म कोल लिंकेज प्राप्त करने का निर्णय।
- अनपरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित।
- कुल 3000 मे0वा0 की नई तापीय परियोजना लगाकर विद्युत उत्पादन में वृद्धि की योजना।
- परिणामस्वरूप राज्य के विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता 4000 मे0वा0 से बढ़कर 7000 मे0वा0 करने की ओर ठोस कदम।
- वर्तमान सरकार द्वारा 25 के0वी0ए0 उपकेन्द्र से तीन निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए कनेक्शन देने का निर्णय। एक 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से न्यूनतम दो निजी नलकूपों को अवश्य कनेक्शन।
- प्रदेश में पहली बार सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विद्युत उत्पादन संयत्र लगाने के अन्तर्गत बारा में 1980 मेगावाट एवं करछना में 1320 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए कार्य प्रारम्भ।
- गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 5,56,760 कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किये गये। विद्युत चोरी की प्रभावी रोकथाम के लिए कठोर कदम।
- प्रदेश में पहली बार योजना बनाकर जर्जर तार एवं खम्भे ठीक किये जा रहे हैं। 8682 कि0मी0 तार तथा 26972 खम्भे बदले गये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए नलकूपों के ऊर्जीकरण कार्य पर 52 करोड़ रुपये का व्यय।
- विगत दो वर्षों में सभी चयनित अम्बेडकर गाँवों का विद्युतीकरण।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य। ग्यारहवीं योजना के अंत तक 24 घण्टे बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
- बिजली की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 6168 करोड़ रु0 की बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 65 हजार करोड़ रु0 का निवेश प्रस्तावित, जिससे 10500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा।
- राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में 27 हजार से अधिक गांवों में बिजली की आपूर्ति शुरू। पिछली सरकार के अधूरे विद्युत कार्यों को पूरा कराकर राज्य सरकार द्वारा 7500 गांवों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी।

- ललितपुर में एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना तथा 1320 मेगावाट टाण्डा तापीय विस्तार परियोजना की स्थापना की कार्यवाही।
- मेजा, इलाहाबाद में 1320 मेगावाट विद्युत इकाई की स्थापना। उत्पादन निगम एवं एन0टी0पी0सी0 के बीच अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर।
- हरदुआगंज, पारीछा, पनकी इकाइयों के पी0एल0एफ0 में आशातीत वृद्धि।
- ललितपुर में 4,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रामेगा बिजली घर स्थापित करने के लिए एन0टी0पी0सी0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के मध्य प्रस्तावित एम0ओ0यू0 का आलेख अनुमोदित।
- पारीछा विस्तार परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग को कुल 74.92 करोड़ रुपये का भुगतान उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के किसानों के लिए निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की नई योजना प्रारंभ। इसके तहत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु अनुदान धनराशि 55,000 रु0 से बढ़ाकर 68,000 रु0 की गयी। इस वर्ष 20,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसके लिए 136 करोड़ रु0 की अनुदान धनराशि स्वीकृत।
- घरेलू क्षेत्र में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुदान : घरेलू क्षेत्र में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये सोलर वाटर हीटर संयंत्र (100/200/500 लीटर क्षमता) की स्थापना में घरेलू उपयोग हेतु एफ0पी0सी0 टाईप हेतु 6000 रुपये तथा ई0टी0सी0 टाईप हेतु 5000 रुपये अनुदान दिये जाने का निर्णय।
- 30 मेगावॉट क्षमता की ढुकुवा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मन्जूरी। ढुकुवा जल विद्युत परियोजना को इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में निर्धारित कतिपय शर्तों के अनुसार टी0एच0डी0सी0(टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन) को सौंपने के प्रस्ताव को मन्जूरी।
- मुख्यमंत्री ने केन्द्र से उत्तर भारत के राज्यों के मध्य बिजली के अनावंटित/विवेकाधीन कोटे की जनसंख्या तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः वितरण की मांग के लिए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा तथा उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23 प्रतिशत (328 मेगावाट) से बढ़ा 54 प्रतिशत (755 मेगावाट) करने का अनुरोध किया।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रदेश के शहरी विकास के लिये हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 घोषित। इसके तहत भूमि का अधिग्रहण यथासम्भव किसानों की परस्पर सहमति के आधार पर करने का निर्णय।
- आवास विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा दुर्बल आय वर्ग के लिए भवन/भूखण्ड का विकास। इस योजना के तहत 20,000 भवन/भूखण्ड का लक्ष्य निर्धारित।
- पर्यावरण सुधार हेतु 5,40,500 पौधे लगाने का निर्णय तथा इसके सापेक्ष 78 प्रतिशत लक्ष्य पूरा।
- विकलांग जनों को भूखण्ड/भवन आवंटन में आरक्षण आवास विकास परिषद एवं विभिन्न विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांग जनों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण।
- मा0 कांशीराम समग्र विकास योजना में गरीबों के लिए आवास, पार्कों का सौन्दर्यीकरण, पर्यावरण सुधार, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण तथा वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर।
- राष्ट्रकुल खेल, 2010 को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10,000 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होटलों के लिए भूमि, नई नीति के तहत आवंटित करने के निर्देश।
- भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन निर्माण कराये जाने वाले अस्पतालों के लिए लीज पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश।
- वर्ष 2008–09 में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में एक लाख एक हजार आवासों का निर्माण कार्य शुरू। निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों व गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीबों को 1.75 लाख रु0 की लागत का दो कमरे का आवास निःशुल्क मिलेगा। प्रदेश के 60 अधिकतम शहरी आबादी वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासों का निर्माण कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी। योजना में 23 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति/जनजाति, 27 प्रतिशत भवन, पिछड़े वर्गों तथा शेष 50 प्रतिशत भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे।

नगर विकास

- जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) योजना के तहत

इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ में पेयजल योजनाओं हेतु पहले चरण में 153.3087 करोड़ रुपये के कार्य। लखनऊ में 41.3402 करोड़ रुपये से सीवरेज का कार्य।

- यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना में फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, उन्नाव, फिरोजाबाद, बलिया तथा बुलन्दशहर में 41.83 करोड़ रुपये की धनराशि से पेयजल योजनाओं पर कार्य।
- आदर्श नगर योजना के तहत 140 नागर निकायों को पेयजल, ड्रेनेज सीवरेज, सड़क, नाली, खड़ंजा के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था।
- स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, चतुर्थ श्रेणी, सफाई कर्मियों का विनियमितीकरण।
- आदर्श नगर योजना में 30 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया। यह योजना एक लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसे नगरीय निकायों, जो जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 से वित्त पोषित नहीं है।
- शहरी गरीबों को राजकीय भूमि पर उनके आवासीय कब्जे को नियामत करार देते हुये 30 वर्ग मीटर तक की भूमि पर मालिकाना हक देने की **सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना** प्रारम्भ।
- लखनऊ में शारदा नहर के लखनऊ शाखा के कि0मी0 172.610 से कि0मी0 175.396 तक दाहिने तट का सुदृढ़ीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य, बुद्ध विहार, शांति उपवन तक पुल का निर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना शुरू।
- वाराणसी और कन्नौज के सर्वांगीण विकास के लिए 9 अरब 48 करोड़ 98 लाख रुपये से अधिक की 49 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ। इसमें 800 करोड़ रुपये की योजनाएं वाराणसी तथा 148 करोड़ रुपये की अनेक योजनाएं कन्नौज के लिए हैं।
- मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी, 2009 को अपने जन्मदिन पर 900 करोड़ रुपयों की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। इसमें 18 जनपदों में 398.4 किमी0 लम्बाई की 311. 90 करोड़ रु0 लागत की 26 सड़कें, 19 जनपदों में 121.03 करोड़ रु0 की 31 पुलों, 8 जनपदों में 105.77 करोड़ रु0 के पुलों का भी लोकार्पण। नोएडा में फूल मण्डी, 12 जनपदों में दृष्टिबाधित छात्रों हेतु स्पर्श विद्यालय एवं छात्रावास, 7 जनपदों में बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 10 जनपदों में एस0सी0/एस0टी0 छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास तथा शहरी गरीबों की आवास योजना के तहत आगरा शहर में 5 हजार तथा मेरठ शहर में 1 हजार आवासों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रु0 लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास।

- वाराणसी का हेरिटेज प्लान शीघ्र पूरा करने पर बल।
- जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना में स्टाम्प शुल्क में दी गयी छूट में छः माह तक वृद्धि।
- औद्योगिक नगरी कानपुर, मेरठ व धार्मिक नगरी अयोध्या (फैजाबाद) व बिठूर के तेजी से विकास की रूपरेखा बनाने के आदेश कानपुर व बिठूर के लिये 850 करोड़ की विकास योजनाएं।
- लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद–आयोध्या, कानपुर, बिठूर व मेरठ जनपदों में बुनियादी सुविधाओं में विस्तार के लिए 5055.71 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।

सूडा

- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के नगर निगमों के 48 वार्डों, नगर पालिका परिषदों के 220 वार्डों तथा नगर पंचायत के 70 वार्डों को पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, नाली, खड़ंजा आदि के विकास के लिए चयनित।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का उपघटक – शहरी गरीबों के लिए आवास सहित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा में 21752 आवासों की परियोजनाएं जिनकी लागत 43370.85 लाख रु0 है, में लगभग 12 हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का उपघटक एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम में शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाओं सहित आवास उपलब्ध कराने हेतु 2236 आवासों की परियोजना, जिनकी लागत 3298.57 लाख रु0 है। लगभग एक हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कर शरीर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 25 जनपदों हेतु 2700 लाख रु0 केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त, जिसमें से 2111.81 लाख रु0 अवमुक्त कर 82044 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण।

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उप योजना नगरीय स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत 30 हजार भौतिक लक्ष्य एवं 2250 लाख रु0 वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 21464 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 1419.87 लाख ऋण अनुदान दिया गया।
- स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 508.96 लाख व्यय करके 50247 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया।
- नगरीय मजदूरी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1136.15 लाख व्यय करके 4.16 लाख मानव दिवसों का सृजन तथा ड्वाकुआ योजना के तहत 47.55 लाख रु0 व्यय करके 51 समूहों का वित्त पोषण किया गया।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत नगरीय सुविधाएं (अनुसूचित जाति सब प्लान) के तहत वर्ष 2007–08 में 31 मार्च तक 3651.41 लाख रु0 व्यय कर 2.86 लाख लाभार्थियों का लाभान्वित किया गया।

समाज कल्याण

- इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहन कु. मायावती जी के अपने चारों बार के शासनकाल के दौरान प्रदेश के विकास एवं कानून–व्यवस्था के मामले में वैसे तो सर्व समाज के हितों का पूरा–पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हर मामले में प्राथमिकता पहले समाज के उन दलित, शोषित, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी है जिनकी पूर्व की सरकारों में सभी मामलों में उपेक्षा की गई है और इसी सोच के तहत चलकर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।
- वृद्धों, किसानों, विधवा महिलाओं और विकलांग लोगों के मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर दो गुना 300 रुपये प्रतिमाह की गयी। वृद्धास्था पेंशन के अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य 24 लाख से बढ़ाकर 42 लाख किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) सूची में अंकित 60 वर्ष से अधिक समस्त वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा से आच्छादित किये जाने का निर्णय। इसके फलस्वरूप 42 लाख वृद्धजनों को आच्छादित करने का निर्णय।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित छात्रवृत्ति वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जिसके

फलस्वरूप छात्रवृत्ति की धनराशि मुख्यालय स्तर से सीधे छात्र/ग्राम पंचायत खाते में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

- अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकृत किया जा चुका है।
- अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।
- मेडिकल/इंजीनियरिंग कोचिंग योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष बजट की व्यवस्था की गयी है।
- आधी आबादी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 'महिला संरक्षण अधिनियम 2005' के तहत प्रथम बार **'उत्तर प्रदेश महिला निधि'** की स्थापना। साथ ही राज्यस्तरीय **'महिला एवं उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ'** की स्थापना। बजट में एक करोड़ रुपये का प्राविधान कर इसके अंतर्गत दैवीय आपदाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त, उत्पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं को तात्कालिक आर्थिक सहायता तथा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था।
- 148 करोड़ रुपये की आठ वर्षीय बाह्य सहायतित **प्रियदर्शनी परियोजना** सूबे के चार जनपदों– बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली एवं सुल्तानपुर के आठ विकास खण्डों में संचालित करने का निर्णय।
- श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु 55 लाख रुपये की व्यवस्था।
- विगत दो वर्षों में 2.86 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति।
- 'ग्रामीण पुर्नवास योजना' के अन्तर्गत जनपद सीतापुर एवं सुल्तानपुर में संचालित जिला पुर्नवास केन्द्र, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अब संचालित नहीं किया जायेगा, उसे अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय। इस हेतु बजट में रु0 60.00 लाख का प्राविधान।
- पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण–पोषण एवं बच्चों आदि की शिक्षा व्यवस्था एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता 150 रु0 से बढ़ाकर प्रतिमाह 300 रु0 की गयी। इसी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में रु0 12 हजार की आय सीमा बढ़ाकर गरीबी रेखा की सीमा तक की गयी, इसके फलस्वरूप बढ़ी संख्या को देखते हुए 141.30 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी। वर्ष 2008–09 में इसी योजना के कम्प्यूटरीकरण हेतु 75.29 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी।

- विगत दो वर्षों में अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज की योजना के अंतर्गत 188259 परिवार लाभान्वित।
- विगत वर्षों में सामान्य श्रेणी के 58409 गरीब परिवार की पुत्रियाँ शादी एवं इलाज से लाभान्वित।
- नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि में 500 रु0 की वृद्धि करते हुए इसे 2,500 रु0 करने का निर्णय।
- 1984 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों को अभियान चलाकर तत्काल मुआवजा दिये जाने के निर्देश।
- कानपुर नगर में 1984 के दंगा पीड़ित 35 सिख परिवारों को 17.58 लाख रु0 वितरित। अवशेष 18 पीड़ित सिख परिवारों के दावों की पुष्टि के लिए मजिस्ट्रेटों की टीम गठित।
- राज्य सरकार द्वारा **कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़, मांझी, लोनिया, नोनिया, लोनिया–चौहान एवं धनकर** जाति के नागरिकों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित। इन जातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल करने से वर्तमान अनुसूचित जातियों को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा इन जातियों की संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति का मौजूदा आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की मांग की गयी है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिए शादी अनुदान योजना की धनराशि बुन्देलखण्ड के जनपदों हेतु मात्र 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गयी है।
- नव उच्चीकृत आश्रम पद्धति विद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु नवसृजित पदों को संविदा पर भरने का निर्णय लिया गया है।
- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को संविदा पर भरने का निर्णय।
- अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा समिति गठित की गयी है।
- वर्ष 1984 के दंगे में मारे गये व्यक्तियों की विधवाओं अथवा वृद्ध माता–पिता की पेंशन में वृद्धि अब 2,000 के स्थान पर 2500 रु0 प्रति माह पेंशन अनुमन्य। दंगे में 70 प्रतिशत से अधिक

विकलांग या 1984 से लापता व्यक्तियों की पत्नियों को भी मिलेगी 2500 रुपये की पेंशन।

- अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत 7.5 लाख गरीबों का 120 करोड़ रु0 का ऋण माफ करने का निर्णय लिया साथ ही प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री द्वारा पत्र लिख कर केन्द्रांश तथा ऋण के साथ ब्याज भी माफ करने का अनुरोध।
- अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं के तहत 7.50 लाख गरीबों का 120 करोड़ रु0 कर्ज माफ करने का एतिहासिक निर्णय।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति तथा स्वच्छकार वर्ग के छात्रों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के भरण–पोषण, सूती एवं गर्म वस्त्र, पाठ्य पुस्तकों आदि मदों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का आदेश।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की नई योजना शुरू करने का निर्णय।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की नई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री द्वारा धनकर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र।

महिला कल्याण

- पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण एवं उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान राशि 150 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह की गयी।
- पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 561 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जिससे 15 लाख 63 हजार निराश्रित महिलाएं लाभान्वित।
- प्रदेश के 71 जनपदों में चयनित बालिकाओं को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत 15 जनवरी, 2009 के बाद जन्मी बालिका को 18 वर्ष की आयु में विवाह हेतु एक लाख रुपये की नगद धनराशि प्रदान की जायेगी।

- सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत 11वीं कक्षा में प्रवेश के बाद रु0 15,000 एवं एक साईकिल दी जायेगी।
- कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर रु0 10,000 की अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि।
- मुख्यमंत्री द्वारा अपने जन्मदिन पर महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना'' प्रारम्भ करने की घोषणा। इस योजना में बी0पी0एल0 परिवारों में 15 जनवरी, 2009 के बाद पैदा होने वाली बालिका के नाम 18 वर्ष के लिए सावधि जमा धनराशि एकमुश्त जमा की जायेगी। 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति में बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्व राशि का भुगतान किया जायेगा, जो 18 साल बाद परिपक्व होकर लगभग 1 लाख रु0 हो जायेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बालकों के सादर्श बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक स्थिति में लाने के साथ ही बलिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने तथा वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में 10 करोड़ रु0 की धनराशि आकस्मिकता निधि से स्वीकृत कर जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना में 168.51 करोड़ रु0 की व्यवस्था नई मांगों के माध्यम से की जायेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण

- हाईस्कूल व इन्टर के 26.32 लाख अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के लिए प्रथम बार छात्रवृत्ति के आन लाइन वितरण की व्यवस्था, ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि वास्तविक छात्र–छात्राओं को प्राप्त हो सके और इस मद की धनराशि के दुरुपयोग की संभावना न रहे।
- मेडिकल/इंजीनियरिंग/एम0बी0ए0 एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु पूर्व कोचिंग योजना में होने वाले वास्तविक व्यय पर 15 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय।
- महिला छात्रावास, भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत 11 महिला छात्रावास एवं 11 भवनों का निर्माण।

- अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार की पुत्री की शादी हेतु 10 हजार रुपये का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।
- आलिया स्तर के 50 नये मदरसों को मान्यता। इस प्रकार प्रदेश में आलिया स्तर के 1009 मदरसे मान्यता प्राप्त, जिनमें से 360 मदरसों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान। प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य है, जहां मदरसों के परीक्षा परिणाम इन्टरनेट पर।
- राज्य सरकार द्वारा 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी है। इस वर्ष प्रथम बार मिनी आई0टी0आई0 की परीक्षाएं आयोजित की गयी हैं और परीक्षा परिणाम शीघ्र ही इन्टरनेट पर जारी किया जायेगा।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार से रु0 7000.00 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग।
- मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को समुचित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सलाहकार परिषद में विशेष सेल गठित करने का निर्णय लिया गया तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति हेतु आय सीमा बढ़ा कर एक लाख रुपये करने का फैसला लिया गया।
- अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की लखनऊ में स्थापना।
- 100 नये मदरसे अनुदान सूची में शामिल करने का निर्णय। इससे अनुदानित मदरसों की संख्या 360 से बढ़कर 460 हो जायेगी।
- अल्पसंख्यकों को रोजगार हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना शुरू करने का निर्णय।
- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को और प्रभावी बनाने के लिए अनुदान राशि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये की गयी।
- अल्पसंख्यक वर्ग की पुत्रियों की शादी के लिए निर्धारित धनराशि एक करोड़ रु0 से बढ़ाकर 12 करोड़ रु0 की गयी।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों की मान्यताओं को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय एस.एल.पी. दाखिल की गयी।
- क्रीमीलेयर की आय सीमा तीन लाख रु0 से बढ़ाकर पांच लाख रु0 की गयी। मंत्रिपरिषद ने

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा को तीन लाख रु0 से बढ़ाकर पांच लाख रु0 प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।

- धार्मिक अल्पसंख्यकों के जान–माल एवं मजहब की रक्षा की गारण्टी।
- साम्प्रदायिक दंगों का उन्मूलन।
- अल्पसंख्यक नौजवानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश हेतु कोचिंग की व्यवस्था तथा आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 की कोचिंग हेतु लखनऊ में रुपये 4 करोड़ की लागत से कोचिंग सेन्टर की स्थापना।
- अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धनों/ निराश्रितों की दो बेटियों के विवाह के लिये रु0 20 हजार की आर्थिक सहायता।
- इंजीनियरिंग/ एम0बी0ए0/मेडिकल/ यूनीवर्सिटी में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 6.50 करोड़ स्वीकृत।
- प्रदेश के अरबी फारसी विश्वविद्यालय की लखनऊ में स्थापना तथा बजट में इस हेतु रु0 10 करोड़ की व्यवस्था।
- 58 राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में खोलने का निर्णय, जिस पर कुल रुपये 135 करोड़ का व्यय संभावित।
- 21 अल्पसंख्यक बहुल जनपदों बिजनौर, बुलन्दशहर, बदायूँ, बाराबंकी, बरेली, बागपत, बहराईच, बलरामपुर, गाजियाबाद, ज्योतिबाफुलेनगर, खीरी, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सहारनपुर के विकास के लिये 1015. 70 करोड़ रुपयों की योजना संचालित।
- स्थायी मान्यता प्राप्त 100 नये मदरसों को वर्षों बाद अनुदान सूची में शामिल किये जाने का निर्णय, जिससे अनुदानित मदरसों की संख्या 360 से बढ़कर 460 हो जायेगी।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने के लिये अलग से स्वतंत्र यूनानी निदेशालय की स्थापना का निर्णय।
- मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 964 प्राइमरी व 1212 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, जिनमें बालिकाओं के लिये 100 नये स्कूलों की स्थापना शामिल करने का निर्णय।

- अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिये पात्रता की आय सीमा को रु0 18,800/– से बढ़ाकर रु0 1.00 लाख किया गया।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में लगभग 4 गुना वृद्धि करते हुये विगत दो वर्षों में विभागीय बजट को 281 करोड़ रुपयें से बढ़ाकर 912 करोड़ कर दिया गया।
- पहली बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन, जिसमें ज्यादातर विद्वानों एवं आलिम–ए–दीन को शामिल किया गया।
- 169 मदरसों को मान्यता दी गयी, तथा कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जे रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिये चाहरदीवारी के निर्माण के निर्देश।
- पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 3.91 करोड़ छात्र/ छात्राओं को 1729.13 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, यह संख्या गत 2 वर्ष की अपेक्षा 74 लाख अधिक है।
- लखनऊ तथा गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण के लिये 4.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राज्य हज समिति का गठन, हाजियों का कोटा 23000 से बढ़ाकर 30090 हुआ।

भूमिहीनों को पट्टा आवंटन/कब्जा दिलाना/कब्जों का विनियमितीकरण

- जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत 2,30893 परिवारों को आवास स्थल उपलब्ध।
- ग्राम सभा कृषि भूमि मद में वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में 1,65,416 भूमिहीनों को 36700.53 हे0 कृषि भूमि पर पट्टा आवंटित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के आवंटियों की संख्या 95112 तथा क्षे0 19114.24 है।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में आवास एवं कृषि भूमि के 1,55,537 अवैध कब्जे चिन्हित किये गये तथा 1,49,265 अवैध कब्जे हटाये गये।
- वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में 230893 परिवारों को आवास स्थल आवंटन किये गये। इसमें अनुसूचित जाति के 1,44,002 परिवार सम्मिलित हैं।
- पट्टे सम्बन्धी विवादों का निस्तारण तीन दिन में किये जाने के निर्देश जारी।
- गरीबों को पट्टा वितरण के मामले में पूरी पारदर्शिता अपनाने के निर्देश।

- गरीबों के पट्टों सम्बन्धी विवाद तथा दबंगों द्वारा पट्टों की जमीनों पर कब्जा करने के मामलों में एस0डी0एम0 कोर्ट में लगातार सुनवाई करके तीन दिन के अन्दर निर्णय लेने के निर्देश।

विकलांग कल्याण

- विकलांग पेंशन योजना में 23420 लाख रुपये व्यय करके सात लाख विकलांगजनों को लाभान्वित किया। इसके अलावा कृत्रिम अंग अनुदान योजना में कुल 199 लाख रुपये व्यय करके 6635 विकलांगों को लाभन्वित किया गया। इसी तरह शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 205.28 लाख रुपये व्यय करके 1642 विकलांग दम्पतियों को लाभान्वित किया गया।
- दुकान निर्माण योजना में कुल 90.40 लाख रुपये व्यय करके 904 विकलांगों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पात्र विकलांगजनों को भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) की दर 1800 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3600 रुपये प्रतिवर्ष की गयी।
- भारत सरकार द्वारा विकलांगजन के लिए किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
- विकलांगजन को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की गयी।
- राजकीय सेवाओं में 1996 से लेकर अब तक विकलांगजनों के लिए चिन्हित रिक्त पदों के बैकलाग को अभियान चलाकर पूरा करने का निर्णय।
- राजकीय सेवा में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वर्तमान में मिल रहे वाहन भत्ते में दोगुनी वृद्धि।
- विकलांग बन्धुओं के लिए निर्धारित बहुउद्देशीय परिचय पत्र बनाने हेतु ली जा रही दो रुपये फीस को समाप्त कर अब निःशुल्क परिचय पत्र वितरित किया जा रहा है।
- विकलांग कल्याण विभाग के विद्यालयों एवं कर्मशालाओं के लिए 4 बसों की व्यवस्था की गयी।
- मेरठ में दृष्टिबाधित बालकों के लिए एवं गोरखपुर में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज की स्थापना की जा रही है जिसमें प्राइमरी से इण्टरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। गोरखपुर एवं लखनऊ के दृष्टिबाधित बालकों के विद्यालय की क्षमता में वृद्धि होने के कारण

इन विद्यालयों के लिए एक–एक अतिरिक्त बस की व्यवस्था तथा लखनऊ के दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए भी 2 बसों की व्यवस्था।

- विकलांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रुपये 2 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था।
- दृष्टिबाधितों एवं अन्य विकलांगजनों के लिए उच्च शिक्षा हेतु लखनऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना।
- विकलांग बन्धुओं को परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। उन्हें अब यात्री कर भी नहीं देना होगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विकलांगों को 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत का आरक्षण जिसमें 1 प्रतिशत दृष्टिबाधितों के लिए निर्धारित।
- राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, लखनऊ, लखनऊ में पढ़ाई प्रारम्भ करने की व्यवस्था, गोरखपुर में दृष्टिबाधित बालिकाओं तथा मेरठ में दृष्टिबाधित बालकों के लिए इण्टर कालेज की स्थापना का निर्णय तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लखनऊ व गोरखपुर में छात्रावास बनाने का निर्णय।
- 23 जिलों में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन।
- विकलांग जन के आरक्षण हेतु समूह 'क' व 'ख' श्रेणी के पदों को लघु उद्योग, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगर विकास, जल निगम, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास, नियोजन, कृषि, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण, भूगर्भ जल, श्रम, परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद सहित उत्तर प्रदेश के 43 विभागों में पद के लिए उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणियों का निर्धारण कर दिया गया है। अवशेष विभागों में निर्धारण किया जा रहा है।

युवा कल्याण

- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने तथा खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं नियमित अभ्यास के लिए प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में एक **मिनी ग्रामीण स्टेडियम** का निर्माण योजना के तहत अब तक 22 स्टेडियम निर्मित होकर विभाग को हस्तांतरित तथा 49 स्टेडियम निर्माण के विभिन्न चरणों में।

- होमगार्ड स्वयं सेवकों का दैनिक भत्ता 126 रुपये करने का निर्णय।

बाल विकास एवं पुष्टाहार

- समन्वित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों के सीधी भर्ती के 220, मुख्य सेविका के 1747, कनिष्ठ लिपिक के 508 तथा चतुर्थ श्रेणी के 294 के सीधी भर्ती के पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय। आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 तक कुपोषण को 47 प्रतिशत से घटाकर 23.5 प्रतिशत किये जाने तथा अति कुपोषण को 22 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक लाये जाने, आयु के अनुसार कम वजन एवं कम ऊंचाई को 50 प्रतिशत तक कम किये जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित।
- ग्रामीण अंचलों में अपने गांव में ही 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पुष्टाहार उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य परीक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के लिए वर्तमान में 1,50,460 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित तथा 1,47,608 आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं 1,45,256 आंगनवाड़ी सहायिकाएं तैनात।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि।
- वर्तमान में प्रदेश में 06 माह से 03 वर्ष के 91.53 लाख, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 82.81 लाख बच्चों एवं 39.22 लाख किशोरियों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम से 213.56 लाख लाभान्वित हो रहे हैं।
- किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु 60 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 50,400 किशोरियों को चयनित करते हुए 49,620 किशोरियों को प्रशिक्षित कराया गया।
- पूर्व विश्व बैंक पोषित आई.सी.डी.एस.–।।। कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा/ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों का कार्यकाल बढ़ाये जाने का निर्णय।

प्रदूषण नियंत्रण

- प्रदेश के प्रमुख शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा की वायुगुणता में सुधार लाने के लिए स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की पूर्ति शुरू की गई।

- प्रदेश में कुल 553 उद्योगों को अति प्रदूषणकारी श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित कर कार्यरत 435 उद्योगों को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित किये गये तथा 2086 संकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योग चिन्हित किये गये।
- प्रदेश की प्रमुख नदियों की जलगुणता अनुश्रवण का कार्य 32 चिन्हित स्थलों पर किया जा रहा है। इसके अलावा 3 प्रमुख नगरों की परिवेशीय वायुगुणता का अनुश्रवण का कार्य 33 स्थलों पर किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुल 3613 अस्पताल/नर्सिंग होम चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 3034 अस्पतालों, नर्सिंगहोमों द्वारा पैदा की गई अपशिष्ट हेतु उपचार व्यवस्था की गई।

ग्राम्य विकास

- ग्रामीण रोजगारों में वृद्धि के लिये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, बायोगैस तथा क्षेत्रीय रोजगार सृजन योजना में अधिक बजट की व्यवस्था।
- राज्य सरकार द्वारा 100 दिन रोजगार देने के बजाय पूरे साल भर रोजगार देने की योजना।
- विगत दो वर्षों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 769.80 करोड़ रुपये व्यय करके 6.16 लाख स्वरोजगार उपलब्ध कराये गये।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** 01 अप्रैल 2008 से पूरे प्रदेश में लागू। अब तक यह योजना प्रदेश के 39 जनपदों में ही संचालित की जा रही थी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में दो वर्षों में कुल 6023.99 करोड़ रुपये व्यय करके 4089.07 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। 106.52 लाख जाब कार्डों का वितरण तथा 84.32 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- दो वर्षों में इन्दिरा आवास योजना में 1796.48 करोड़ रुपये व्यय करके 5.37 लाख आवास निर्मित किये गये।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना में दो वर्षों में 1094.82 करोड़ रुपये व्यय करके 36003 परियोजनायें पूरी की गयी।
- ग्रामीण पेयजल योजना में दो वर्षों में 1899.16 करोड़ रुपये व्यय करके 3.19 लाख नये हैण्डपम्प स्थापित तथा 1.66 लाख हैण्डपम्प रि–बोर कराये गये।

- महामाया आवास योजना में दो वर्षों में 748.72 करोड़ रुपये व्यय करके 2.48 लाख आवास निर्मित।
- विगत वर्षों में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक हाल के निर्माण योजना के अन्तर्गत 52.10 करोड़ रुपये व्यय करके 419 हालों का निर्माण पूरा किया गया। 261 हालों का निर्माण प्रगति पर।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दो वर्षों में 3185 करोड़ रुपये व्यय करके 9776 किमी0 सड़कों का निर्माण किया गया।
- जिले के अन्दर विकास खण्डों और ग्राम सभाओं तक इन्दिरा आवास निर्माण के लिए धन आवंटन में पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश को खत्म किया गया। इसके लिए जनपद के अन्दर विकास खण्डों और विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के बीच आवास निर्माण हेतु धन का आवंटन आबादी के अनुपात के अनुसार किया जाना निर्धारित किया गया। इससे प्रत्येक ग्राम सभा में लाभार्थियों के चयन में प्रत्येक ग्राम सभा में सूचीबद्ध बी0पी0एल0 के सबसे निर्धन वर्गीकृत व्यक्ति या परिवार का क्रमानुसार चयन किया जायेगा। पहले प्रदेश स्तर पर आवास निर्माण हेतु अन्तर्जनपदीय धनराशि का आवंटन निश्चित मानक से होता था, परन्तु जनपद से नीचे विकास खण्ड व ग्राम स्तर तक मानक निर्धारण न होने से इसमें भेदभाव तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है।
- प्रति परिवार औसत 54 दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया जो राष्ट्रीय औसत 48 दिवस से अधिक है।

सिंचाई

- विगत दो वर्षों में 666 नये नलकूपों की स्थापना, 283 नलकूपों की पुनर्स्थापना एवं 1525 की मरम्मत करायी गयी।
- विगत दो वर्षों में राजकीय नलकूपों के संचालन में सुधार हेतु पूर्व निर्धारित रु0 12000 प्रति नलकूप प्रतिवर्ष को बढ़ाकर रु0 20000 किया गया।
- **उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट** – इस योजना के तहत पहली बार सुल्तानपुर जनपद में 'जौनपुर ब्रांच सब बेसिन डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट बोर्ड' का गठन। परियोजना क्षेत्र में गठित इस बोर्ड द्वारा जल के समुचित प्रयोग हेतु जनप्रतिनिधियों, कृषकों एवं उद्योगपतियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

- उ0 प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक–2008 प्रख्यापित। इसके तहत जल उपभोक्ता समितियों के गठन तथा उनके कार्यों आदि का निर्धारण।
- लंबित बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश।

लघु सिंचाई

- प्रदेश के कठिन एवं गहरे क्षेत्रों में जहां उथले नलकूपों का निर्माण संभव नहीं है और जहां बोरिंग योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, वहां पर एस0सी0/एस0टी0 कृषकों के लिए **डॉ0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना** के अन्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान पर गहरे नलकूपों के निर्माण किये जाने हेतु 86.60 करोड़ रु0 की योजना तथा सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषकों के लिए, जिसमें एस0सी0/एस0टी0, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे के कृषकों को वरीयता देते हुए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2.15 लाख प्रति नलकूप की दर से 38.70 करोड़ रुपये की **डॉ0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना** की स्वीकृति।
- बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्रों में भूजल दोहन हेतु बड़े व्यास के ब्लास्ट कूपों के निर्माण की योजना के तहत जनपद महोबा में 300 ब्लास्ट कूपों का निर्माण व 295 कूपों को गहरा करने के लिए 13.75 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति।
- प्रदेश के 141 विकास खण्डों में भूजल रिचार्ज हेतु 1978 करोड़ रुपये की योजना तैयार। इसके अलावा गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु सोनभद्र में डी0टी0एच0 तथा बरेली मण्डल के एल्यूवियल क्षेत्र हेतु डी0सी0 हाइवे रिग मशीन के क्रय की स्वीकृति दी गयी है।
- 4,19,783 निःशुल्क बोरिंग, 5400 गहरी बोरिंग एवं 9313 मध्यम गहरे बोरिंग कराकर 8.67 लाख हेक्टेअर में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।

भूमि विकास एवं जल संसाधन

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम (काडम) योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में 40 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008–09 में रु0 70.92 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई।
- सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम डी0पी0ए0पी0 के तहत वर्ष 2008–09 में रु0 65.32 करोड़ व्ययकर

111439 हे0 क्षेत्र का उपचार किया गया तथा इस वर्ष 3.44 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं तथा इस धनराशि से 2065 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया।

- समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0) के तहत वर्ष 2008–09 में 78.74 करोड़ रुपये व्यय करके 124809 हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र उपचारित करके 70.92 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अप्रैल तक कुल रु0 1.34 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है तथा 323 हे0 क्षेत्र उपचारित किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण तथा राहत

- दैवी आपदा के सभी मदों में दी जाने वाली एक हजार रु0 से कम की धनराशि का वितरण अब बियरर चेक के माध्यम से तथा एक हजार रु0 या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था को पुनः लागू किये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के सूखाग्रस्त/बाढ़ग्रस्त जनपदों के लघु एवं सीमांत कृषकों, जिनकी फसलों को 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान हुआ है, को न्यूनतम भू–भाग पर अनुमन्य अहेतुक सहायता/कृषि निवेश अनुदान की राशि को 250 रु0 से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने का निर्णय।
- भारत सरकार के दिशा–निर्देश 27 जून, 2007 के क्रम में, जिन लघु एवं सीमांत कृषकों को 250 रु0 की दर से अहेतुक सहायता का भुगतान किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है, अब उसे भी बढ़ाकर एक हजार रुपये के मानक के अनुसार अन्तर का भुगतान भी किया जायेगा।
- प्रदेश के तराई वाले जनपद तथा पूर्वांचल के 23 जनपदों में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु दीर्घकालिक योजनाएं।
- प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वासन के लिए केन्द्र सरकार से 2200 करोड़ रु0 की मांग।
- कार्य की गतिशीलता हेतु प्रदेश में प्रथम बार 10.00 लाख रु0 की लागत से ऊपर के राहत कार्यों से जुड़े अवस्थापना सम्बन्धी तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति से विकेन्द्रीकरण करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा राहत समिति को दे दिया गया।
- पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाढ़ प्रभावित 17 जनपदों की 10 लाख से ऊपर की परियोजनाओं पर राज्य

स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से 34 करोड़ रु0 की धनराशि संबंधित जनपदों को निर्गत।

- गत दो वर्षों में बाढ़ के दौरान प्रति दिवस देय राहत सहायता व बाढ़ रिपोर्ट की सूचना पारदर्शिता हेतु राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती रही।
- प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के लिए लगभग 31 करोड़ रु0 की सहायता।
- सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों हेतु 400 करोड़ रु0 की परियोजनाएं स्वीकृत। गृह विहीन, निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहर से बचाने के लिए अलाव तथा कम्बल हेतु 692 लाख रु0 आपदा राहत निधि से वहन किये जाने की स्वीकृति।
- बाढ़ से संवेदनशील 11 जनपदों को तीन–तीन करोड़ तथा 21 जनपदों को दो–दो करोड़ रुपये अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य कार्यों हेतु आवंटित।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों एवं अवस्थापना सुविधाओं के पुनर्निर्माण के अनुश्रवण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिवों/सचिवों को जिले आंवटित।
- मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 में बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए 11.16 करोड़ रुपये की सहायता दी तथा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से मांग की गयी कि नेपाल से वार्ता कर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़े।
- मुख्यमंत्री ने बिहार के बाढ़ प्रभावितों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 8,65,923 रुपये की अतिरिक्त सहायता भेजी।

भूगर्भ जल

- प्रदेश के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट होने से जल स्रोतों के समक्ष खतरा उत्पन्न होने लगा है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा वर्षा जल संचयन व रिचार्ज कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भूजल आकलन, जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र, भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं पैरामीटर टेस्ट तथा लैण्ड डैमेज इण्डेक्स का आकलन आदि कार्य किया जा रहा है।

किसानों का सशक्तिकरण

- किसान और कृषि को समृद्ध बनाने के लिये गत दो वर्षों में कृषि बजट में लगातार वृद्धि। दो वर्षों में इस हेतु 2545.98 करोड़ रु0 का व्यय।
- गरीब किसानों को उत्पीड़न से बचाने के लिये उ0प्र0 साहूकारी विनियमन (संशोधन अधिनियम 2008) लागू करके जुर्माने में वृद्धि।
- वर्ष 2004 में घोषित चीनी उद्योग प्रोत्साहित नीति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके स्थान पर एक नई नीति बनाई जायेगी, जिसमें किसानों के हित और शासन के वित्तीय संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग पर ध्यान दिया जायेगा।
- किसानों के हितों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि गेहूं खरीद योजना में आढ़तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये। इससे खाद्य विभाग की मार्केटिंग शाखा द्वारा आढ़तियों के माध्यम से भी खरीद की जा सकेगी और गेहूं खरीद के लिए एक वैकल्पिक चैनल उपलब्ध हो जायेगा।
- विगत दो वर्षों में 76.21 लाख कुंतल उन्नत बीजों का वितरण।
- दो वर्षों के दौरान 146.42 लाख मी0टन0 उर्वरक का वितरण।
- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के 14 नये जनपदों को शामिल करने का निर्णय।
- प्रदेश में फासफेटिक खाद एम0ओ0पी0 11:52:0 को व्यापार कर से छूट देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य के समस्त जिलों में चल रही कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन का फैसला।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विज्ञान केन्द्र नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के संतकबीरनगर, महामायानगर (हाथरस), संतरविदास नगर (भदोही) एवं देवरिया में कृषि स्थापित किये जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।
- राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ कृषि शिक्षा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में 05 नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय। बुन्देलखण्ड कृषि विश्वविद्यालय शेष चार कृषि विज्ञान केन्द्र विश्वविद्यालय बरेली/शाहजहांपुर, मऊ, रहमानखेड़ा (लखनऊ) एवं आगरा में स्थापित करने का निर्णय।

- किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डास्प के माध्यम से 35 जनपदों में किसान बाजार स्थापित करने का निर्णय, जो किसानों से सीधे फसल खरीदकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेंगे।
- बायो–फर्टिलाइजर यूनिट की स्थापना कन्नौज के स्थान पर लखनऊ में। बायो–टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषक परिवारों में आर्थिक विकास, सुरक्षित उपभोक्ता, उत्पादों के विकास, पर्यावरण सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- विगत दो वर्षों में 46.42 लाख किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वितरित।
- प्रदेश में रबी की फसल हेतु किसानों के समक्ष डी0ए0पी0 रासायनिक उर्वरक की कमी न होने देने के लिए उसके अग्रिम भण्डारण की मात्रा को तीन गुने तक बढ़ाने का निर्णय।
- 20 लाख फलदार पौधों का वितरण।
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के 14 नये जनपदों को शामिल करने का निर्णय। सोनभद्र, संतरविदासनगर, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर को केन्द्र पोषित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया।
- डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 रासायनिक उर्वरकों को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध तथा तत्समय अतिरिक्त रेल वैगन उपलब्ध कराने की मांग।
- खाद की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए चलाये गये अभियान में 15 हजार छापे डाले गये, 163 लाइसेंस निरस्त और 64 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज।
- प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर किसान विद्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कृषक मित्र का चयन किया गया।
- गत दो वर्षों में 2577302 कृषकों की 3302343 लाख हे0 क्षेत्रफल भूमि का फसल बीमा रु0 6555.09 लाख से कराया गया।
- प्रदेश में कृषि असमानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत।
- चीनी वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के लिए गुड़/खाण्डसारी इकाइयों हेतु उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964 के अन्तर्गत मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

- पोटाश तथा फास्फेटिक संघटकों को छूट दिये जाने का फैसला।
- प्रदेश के कृषकों को धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं एवं जौ के प्रमाणित बीजों एवं संकर धान के बीजों के वितरण पर अनुदान।
- सामान्य योजना के तहत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु वर्तमान में देय अनुदान की धनराशि 55 हजार से बढ़ाकर 68 हजार रु0 प्रति नलकूप करने का निर्णय।
- वर्ष 2007–08 में प्रदेश में आलू के सम्भावित अधिक उत्पादन व बाजार में गिरते भाव के दृष्टिगत तथा कृषकों को आलू का उचित मूल्य दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उत्पादित आलू के विपणन एवं निर्यात तथा विदेश में भण्डारीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता तथा बाजार हस्तक्षेप योजना लागू।
- पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना लघु/सीमान्त कृषकों सहित 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति व 30 प्रतिशत महिलाओं को कृषि रक्षा यंत्र के लिए अनुदान की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केन्द्रांश तथा बैंक ऋण के साथ ब्याज भी माफ करने का अनुरोध किया।
- 25 हजार निजी, नलकूपों के उर्जीकरण के निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए रोस्टर के अनुसार समय से बिजली उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
- आलू किसानों की दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए समग्र नीति बनाने के निर्देश।
- किसानों की आमदनी अगले 3 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य।
- प्रदेश के किसानों एवं आलू उत्पादकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू उत्पादकों को अब और अधिक क्रय मूल्य का भुगतान किया जायेगा। आलू के विपणन और निर्यात पर भी अनुदान का फैसला। उर्वरकों, बायो–पेस्टीसाइड्स और प्रमाणित बीजों पर भी अनुदान का निर्णय।
- इन निर्णयों में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू उत्पादकों को दिये जा रहे क्रय मूल्य में इजाफा करना, सरकार द्वारा परिवहन भाड़ा दिया जाना तथा आलू के विपणन और आलू के निर्यात पर अनुदान के फैसले भी शामिल हैं। मंत्रिपरिषद कई तरह के उर्वरकों, बायो–पेस्टीसाइड्स और प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण पर निजी क्षेत्र को भी अनुदान दिये जाने का भी निर्णय।

- बाजार हस्तक्षेप योजना में आलू का क्रय मूल्य 250 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 300 रुपये करने का निर्णय।
- इसके फलस्वरूप प्रदेश के आलू उत्पादकों को 25 रुपये प्रति कुन्तल या परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय। इस निर्णय से अनुमानतः 40,000 मी0टन आलू के भाड़े पर राज्य सरकार पर 100 लाख रुपये का व्ययभार आयेगा। इसके अतिरिक्त आलू उत्पादकों के हित में प्रदेश से बाहर आलू भेजने पर लगे 500 किमी0 की दूरी का प्रतिबन्ध भी समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के अन्दर 300 किमी0 से अधिक दूरी पर आलू विपणन के लिए परिवहन पर अनुदान दिये जाने का निर्णय और यह सुविधा अगले पांच वर्षों तक लागू रखने का निर्णय। देश के बाहर आलू के निर्यात पर इस वर्ष भी अनुदान जारी रखा जायेगा और आलू निर्यात हेतु भण्डारीकरण अनुदान सहायता योजना भी इस वर्ष लागू रहेगी। इस योजना के तहत अनुमानतः 5,000 मी0टन आलू के निर्यात हेतु सरकार पर अनुदान के रूप में लगभग 150 लाख रुपये का व्यय भार आएगा।
- प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु निजी क्षेत्र को भी अनुदान दिये जाने का निर्णय। इस पर लगभग 5938.50 लाख रुपये का व्यय भार अनुमानित है।
- भूमि सुधार में प्रयोग होने वाले जिप्सम पर कर की दर 4 प्रतिशत को समाप्त करते हुए इसे कर मुक्त कर दिये जाने का निर्णय।
- स्प्रिंकलर सेट के अवयव अर्थात्—क्यू आर सी बैंड, क्यू आर सी सर्विस सैडल, छिड़काव नोजल, क्यू आर सी टी, क्यू आर सी पंप कनेक्टर तथा क्यू आर सी एण्ड कैप पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत।
- प्रजनक बीज, आधारीय बीज एवं बीज अधिनियम—1966 के अधीन प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा प्रमाणित बीज को कर मुक्त कर दिये जाने का निर्णय।
- निःशुल्क बोरिंग योजना में सभी श्रेणी/जाति के किसानों के लिए बोरिंग अनुदान सीमा में बढ़ोत्तरी।
- किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वर्तमान सरकार ने निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत किसानों को दी जा रही सुविधाओं में वास्तविक लागत को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को दी जाने वाली अनुदान सीमा में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव को मन्जूरी प्रदान की। इससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे।

- निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को वर्तमान में अनुमन्य क्रमशः तीन हजार, चार हजार एवं छह हजार रुपये को बढ़ाकर वास्तविक लागत या अधिकतम अनुमन्य सीमा की धनराशि को क्रमशः पांच हजार, सात हजार तथा दस हजार रुपये, जो भी कम हो, कर दी गई है।
- लघु एवं सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त की निःशुल्क बोरिंग पर पम्पसेट स्थापना हेतु अनुमन्य अनुदान क्रमशः 2800 रु0, 3750 रु0 एवं 5650 रुपये की धनराशि में वृद्धि करके वर्तमान अनुदान सीमा के तहत इकाई लागत 18000 रु0 के आधार पर, इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 4500 रु0, इकाई लागत का साढ़े तैंतीस प्रतिशत अधिकतम 6 हजार रु0 तथा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम नौ हजार रु0 कर दिया गया है।

गन्ना विकास

- सरकार बनते ही तत्काल गन्ना बकाये के भुगतान को प्राथमिकता पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये।
- सहकारी और निगम की मिलों के गन्ना बकाये के भुगतान के लिए 200 करोड़ रु0 की बैंक गारण्टी देने का निर्णय किया गया।
- पेराई सत्र में दो वर्षों में प्रतिवर्ष गन्ना मूल्य में वृद्धि।।
- गन्ना किसानों के हित में घटतौली करने पर अर्थदण्ड 5,000 रु0 से बढ़ाकर 50,000 रु0 तथा अपराध जारी रहने पर 1,000 से बढ़ाकर प्रतिदिन 5,000 रु0 करने का फैसला।
- अरबों रु0 के घाटे में चल रही चीनी निगम की 33 चीनी मिलों को भी निजी हाथों में सौंपने का निर्णय, जिन चीनी मिलों को निजी हाथों मे ंसौंपने का निर्णय किया गया, उनमें सहारनपुर, रोहानाकलां, सकौती, टाडा, बरेली, महोली (सीतापुर), हरदोई, मोहिद्दीनपुर, बुलन्दशहर, बिजनौर, चांदपुर, अमरोहा, छाता, घाटमपुर (कानपुर देहात), दरियापुर (रायबरेली), बुढ़वल (बाराबंकी), जरवलरोड, पिपराइच, सिसवा बाजार, भटनी, देवरिया, बैतालपुर, घुघली, छितौनी, नवाबगंज, मंडेरवा, लक्ष्मीगंज, नन्दगंज, रामकोला, खड्डा, और शाहगंज प्रमुख रुप से शामिल हैं।

- गन्ना किसानों का और अधिक गन्ना खरीद कर पेरा जा सके, इसलिए किसानों के हित में सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र चीनी मिलों का अंतरण निजीकरण करने का निर्णय लिया गया।
- पेराई सत्र 2006–07 तथा 2007–08 का लगभग 99 प्रतिशत एवं सत्र 2008–09 का लगभग 98 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान।
- पेराई सत्र 2006–07 एवं उससे पूर्व का रु0 2868 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान।
- चीनी मिल मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ही अध्यासी बनाया गया। आदेशों के उल्लंघन करने पर सीधे जेल भेजे जायेंगे।
- चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान न करने, घटतौली तथा क्रय केन्द्रों का संचालन न करने व धोखाधड़ी के आरोप में कई अध्यासी गिरफ्तार। 20 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए सरकार का कठोर कदम, 70 चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी, एक अध्यासी को जेल।
- सरकार द्वारा शीरे के संग्रहण, सम्भरण तथा श्रेणीकरण से सम्बद्ध मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये ''शीरा परामर्श समिति'' गठित करने का निर्णय।
- गन्ना माफियाओं पर कड़े अंकुश लगाने के लिए पहली बार राजस्व खतौनी अभिलेखों से किसानों के गन्ना रकबे की जांच कराकर वास्तविक गन्ना किसानों से ही गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान गन्ना उत्पादकता 59.59 टन प्रति हेक्टेअर को 65 टन प्रति हेक्टेअर करने का लक्ष्य निर्धारित। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही गन्ना पेराई की समस्या पर तत्काल निर्णय लेकर गन्ना खेत में खड़ा रहने तक चीनी मिलों को चलाने का निर्देश दिया। जिसके फलस्वरूप समस्त उपलब्ध गन्ना की पेराई के बाद ही चीनी मिलें बंद की गयीं।
- किसानों को शीघ्र एवं त्वरित गन्ना बकाया भुगतान के लिए 17,200.86 करोड़ गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान। इसमें पिछली सरकार का 2868 करोड़ रूपए के बकाया का भी भुगतान किया।
- नौ नई चीनी मिलों में पेराई कार्य शुरू।
- तीन नई गन्ना प्रजातियाँ विकसित।
- सत्र 2008–09 में गन्ना मूल्य में 15 रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि से किसानों को 675 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी।

- सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों के देय भुगतान हेतु 826 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाने की अनुमति।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- राज्य औद्यानिक मिशन योजना कुल 45 जनपदों में लागू करने की स्वीकृति। इसका मुख्य उद्देश्य औद्यानिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी, पोषक तत्वों को उपलब्धता तथा किसानों की आय में वृद्धि किया जाना है। इसके लिए वर्ष 2009–10 में रु0 135.02 करोड़ रु0 की कार्य योजना भारत सरकार से अनुमोदित हुई है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 96.94 करोड़ एवं वर्ष 2008–09 में रु0 107.78 करोड़ रु0 का उपयोग किया गया जो वर्ष 2008–09 में रु0 107. 78 करोड़ रु0 का उपयोग किया गया जो वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की तुलना में ढाई गुना से अधिक उपलब्धि है। समानुपातिक रूप से भौतिक उपलब्धियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
- राज्य औद्यानिक मिशन की भाँति प्रदेश के 26 जनपदों में राज्य सेक्टर की सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्यानिक विकास की योजना वर्ष 2009–10 में संचालित की जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष रु0 43.39 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में यह योजना प्रदेश के 30 जनपदों में क्रियान्वित की गयी थी, जिसमें क्रमशः रु0 42.86 करोड़ तथा रु0 44.27 करोड़ का उपयोग किया गया।
- नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 09–12 दिसम्बर, 2008 को आयोजित 'ग्लोबल पोटेटो कॉन्फ्रेंस', जिसमें विश्व के 60 से अधिक देशों द्वारा प्रतिभाग किया गया, के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर प्रदेश के स्टाल को **सर्वश्रेष्ठ स्टाल** घोषित किया गया।
- गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की थीम पर आधारित विभागीय झांकी की शासन के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों एवं जन साधारण के द्वारा प्रशंसा की गयी और झांकी को **तृतीय स्थान** प्राप्त हुआ। उक्त झांकी के प्रदर्शन को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया।
- केन्द्रीय गन्ना शोध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 21–24 फरवरी, 2009 को आयोजित 'एग्रोटेक प्रदर्शनी' में मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभाग के स्टाल को **प्रथम स्थान** प्रदत्त किया गया। इस प्रदर्शनी में कठपुतली के माध्यम से बागवानी मिशन तथा अन्य विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया गया।

- लखनऊ में दिनांक 01–02 मार्च, 2009 को आयोजित 'कृषि एवं औद्यानिक विकास प्रदर्शनी' में राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आधारित विभागीय स्टाल को **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत (अधिकतम रु0 50.00 लाख) अनुदान उपलब्ध कराकर वर्ष 2007–08 में 15 तथा 2008–09 में 27 कुल 42 शीतगृहों की स्थापना करायी गयी।

रेशम विकास

- प्रदेश में कोया उत्पादकों के उत्पाद का विक्रय प्रतिस्पर्धा के आधार पर खुली नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विगत वर्षों से कोया बाजार संचालन शुल्क 05 प्रतिशत की दर से कोया क्रेताओं से वसूल किया जा रहा था, जिसके कारण कोया क्रेताओं द्वारा कीटपालकों को उनके उत्पाद का कम से कम मूल्य दिया जाता था। अतः कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य दिये जाने हेतु कोया बाजार संचालन शुल्क घटाकर एक प्रतिशत किये जाने का निर्णय।
- प्रथम बार प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों में स्थानीय कृषकों/ बेरोजगार व्यक्तियों को रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने हेतु रेशम परियोजना लागू।
- प्रदेश के गरीब एवं निर्धन रेशम कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद का आकर्षक एवं वाजिब मूल्य सुलभ कराने के उद्देश्य से कीटपालकों को आपूर्ति किये जा रहे रेशम कीटाण्ड का मूल्य रु0 50.00 प्रति 100 डी0ए0एल्स0 निर्धारित।
- रेशम उद्योग से जुड़े लाभार्थियों/उद्यमियों के सर्वोत्कृष्ट/उपलब्धि के लिये प्रदेश में विगत दो वर्षों से मान्यवर कांशीराम रेशम उत्पादकता पुरस्कार का वितरण।
- प्रदेश में बाईवोल्टाइन रेशम कोये को बढ़ावा दिये जाने हेतु जलवायु के आधार पर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जनपद मेरठ, सहारनपुर एवं बिजनौर के बाईवोल्टाइन जोन घोषित।

खादी तथा ग्रामोद्योग

- रायबरेली जनपद में मृत पशुओं को समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस कार्य में लगे हुए उद्यमियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ''**सिक्योर प्रोजेक्ट**'' स्वीकृत। अनुसूचित जाति

की पशुशवच्छेदन सहकारी समितियों को मिनी कारकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु बोर्ड से 7.50 का अनुदान, जिसके अन्तर्गत छः जनपदों में ''**मिनी कारकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट''** की स्थापना।

- खादी एवं ग्रामोद्योग की स्फूर्ति योजना के तहत चार परियोजनाएं स्वीकृत कराकर गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन।
- खादी फेब्रिक्स, गांधी टोपी, खादी गारमेन्ट्स एवं खादी उत्पादनों को वैट के तहत कर से छूट।
- गांधी जयंती पर खादी उत्पादों पर 10 प्रतिशत की छूट का निर्णय।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज, राहत तथा अन्य घोषणाएं

- बुन्देलखण्ड में विशेष रूप से सिंचाई, पेयजल, रोजगार आदि की समस्याओं का प्रथम वरीयता पर समाधान किया गया। सोनभद्र, मिर्जापुर तथा बुन्देलखण्ड में सूखे की स्थिति को देखते हुए इन जिलों में राहत के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी।
- प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करके अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल के विकास हेतु भारत सरकार से लगभग **80 हजार करोड़ रु0** के पैकेज की मांग की गयी है, जिसमें पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए उत्तराखण्ड के समान ''स्पेशल एरिया इन्सेंटिव पैकेज'' तथा इनकी अवस्थापना सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए 14,100 करोड़ रु0 की मांग की गयी है। कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 22 हजार करोड़ रु0 तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के लिए 6500 करोड़ रु0 की सहायता की मांग की गयी है।
- बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जिलों में रबी की फसल आने तक कृषकों के अवशेष राजस्व की वसूली स्थगित करने के निर्देश।
- सूखाग्रस्त प्रभावित जनपदों को तत्परता से राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र से 7016 करोड़ रु0 के पैकेज की मांग। सूखा न्यूनीकरण पैकेज के तहत तत्काल कार्य शुरू करने के लिए 2049 करोड़ रु0 तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु 4867 करोड़ रु0 की मांग की गयी।
- आपदा राहत निधि के तहत किसानों की दी जाने वाली धनराशि 250 रु0 से बढ़ाकर 1000 रु0

की गयी। सूखा प्रभावित जिलों के किसानों हेतु कृषि निवेश अनुदान के लिए 118 करोड़ रु0 स्वीकृत किया गया।

- बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों में कृषि निवेश, सूखा अनुदान, पेयजल, सिचाई, विद्युत आपूर्ति, पशुओं के चारे तथा चिकित्सा उपचार के लिए 412.65 करोड़ रुपये आवंटित किया गया।
- बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों में निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शन देने हेतु 52.54 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को दिये गये।
- सूखे से प्रभावित जनपदों के राहत कार्यों के लिए 226 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत तथा प्रत्येक जनपद को पांच करोड़ रु0 की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गयी।
- बुन्देलखण्ड में एक लाख रु0 तक की राजस्व वसूली के लिए उत्पीड़न नहीं होगा। उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर डी0एम0 व एस0डी0एम0 की जवाबदेही निर्धारित।
- बुन्देलखण्ड में बी0पी0एल0 सर्वे का कार्य पूरा कराया गया।
- बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति तथा 56 करोड़ रु0 की लागत से तीन हजार नये ट्यूबवेल कनेक्शन। इस धनराशि से बुन्देलखण्ड के गांवों में नई लाइन बिछाकर कार्यवाही की जा रही है। बुन्देलखण्ड में नरेगा योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रोजेक्ट शुरू करना जरूरी।
- राज्य सरकार ने केन्द्र से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए तत्काल 2,797 करोड़ रु0 का ऋण राहत पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया। भूमिहीन व गरीब मजदूरों की स्थिति के लिए उनके सम्पूर्ण ब्याज और ऋण राशि को राइट ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार को कृषि ऋण पर ब्याज की दर तीन प्रतिशत करने का सुझाव दिया।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सूखा प्रभावित नौ जनपदों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1600 करोड़ रु0 की अभिनव कार्ययोजना शुरू की।
- सूखाग्रस्त नौ जनपदों की सभी ग्राम सभाओं में **खाद्यान्न बैंक** की स्थापना तथा सामूहिक किचन योजना लागू।
- स्प्रिंकलर एवं ड्रिप यंत्रों की खरीद पर 75 प्रतिशत का अनुदान, इसके लिए 400 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी।

- बुन्देलखण्ड में 100 करोड़ रु0 की लागत से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य शुरू। 20 करोड़ रु0 की लागत से नौ आई0टी0आई0 स्थापित करने का निर्णय तथा 50 करोड़ रु0 की लागत से पांच पॉलीटेक्निक स्थापित करने का निर्णय ।
- झांसी में लगभग 184 करोड़ 27 लाख रु0 की लागत से मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज।
- बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में शादी अनुदान योजना के तहत सर्वसमाज के सभी पात्र लाभार्थियों को अनुदान।
- बुन्देलखण्ड हेतु वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए बजट में 20 करोड़ रु0 की व्यवस्था।
- बुन्देलखण्ड के सभी सातों जनपदों में बी0पी0एल0 परिवारों के एक–एक सदस्य को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय।
- न्यूनतम सिंचाई वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए बागवानी योजना लागू करने का निर्णय।
- नहरों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नलकूप के माध्यम से पानी की कमी को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रु0 व्यय करने का निर्णय।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के लिए मौसम बीमा योजना लागू करने का निर्णय।
- किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी द्वारा, इसके लिए 10 करोड़ रु0 की व्यवस्था करने का निर्णय।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं संचयित जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए कृषि विभाग द्वारा 35.50 करोड़ रु0 की धनराशि से 22000 हेक्टेअर क्षेत्रफल में वर्षा जल संचयन का कार्य।
- सूखा एवं दैवी आपदा से प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सात जनपदों तथा पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित छः जनपदों, कुल 13 जनपदों में **ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना** लागू। इसके अन्तर्गत झांसी में 29, जालौन में 29, ललितपुर में 28, बांदा में 29, हमीरपुर में 29, महोबा में 28, चित्रकूट में 28, चन्दौली में 50, गाजीपुर में 50, मिर्जापुर में 50, सोनभद्र में 50, मऊ में 50 तथा बलिया में 50 खाद्यान्न बैंक खोले गये। इन बैंकों से प्रति बैंक 40–40 अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार सम्बद्ध किये गये। लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार तीन माह की आवश्यकता के लिए एकमुश्त एक कुन्तल गेहूं लोन बेसिस पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

- बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में वृहद वृक्षारोपण के मामलों में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्लीन चिट दी।

वन विकास

- सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2007 को एक दिन में 1.065 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। यह विश्व रिकॉर्ड है। भारत सरकार द्वारा इस उपलब्धि को अनुकरणीय मानते हुए अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।
- प्रदेश में जापान इण्टर नेशनल को ऑपरेशन एजेन्सी द्वारा वित्तपोषित ''उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना'' लगभग रु0 575.2 करोड़ की 8 वर्षीय परियोजना 2008–09 से 2015–16 तक कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना से प्रदेश के 14 जनपदों के 15 वन प्रभाग व 5 वन्यजीव प्रभाग आच्छादित है। इस परियोजना में जन सहभागिता के माध्यम से अवनत वनों का उद्धार एवं उचित प्रबन्धन किए जाने के साथ–साथ स्थानीय समुदाय की आय अर्जन क्षमता को बढ़ाए जाने के विशिष्ट प्राविधान शामिल हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पौध रोपण की विशेष परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पौधा रोपण का विभागीय लक्ष्य, ससमय प्राप्त किया गया।
- वनावरण व वृक्षावरण सृजित कर पर्यावरण संतुलन स्थापना हेतु विगत दो वर्षो में वन विभाग द्वारा विभागीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।
- वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने व अवैध कटान पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु अवैध कटान व शिकार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर व प्रभावी कार्यवाही कर भारी मात्रा में प्रकाष्ठ जब्त किया गया व अभियुक्तों से प्रतिकर वसूल किया गया।
- वन विभाग द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों नीम, इमली व बेल प्रजातियों को वरीयता दी जा रही है।
- आम जनता की परशानी को देखते हुए शमशान घाटों पर रियायती दरों पर जलौनी लकड़ी की व्यवस्था की गई है।
- बांदा एवं चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में बांस पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से पीलीभीत जनपद में एक और टाइगर रिजर्व एवं बिजनौर जनपद में हाथी रिर्जव घोषित करने की कार्यवाही।
- वर्ष 2007–08 में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा रु0 11,184.00 लाख की धनराशि अर्जित की गई। वन निगम के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 में वृक्षारोपण वृद्धि में जन सहभागिता बढ़ाने हेतु वृक्ष बन्धु पुरस्कार हेतु रु0 5.00 लाख (रु0पांच लाख) की व्यवस्था की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रदेश में बाँस सम्बर्द्धन कार्यक्रम को वृहद स्तर पर संचालित करते हुए 2000 हे0 क्षेत्र में बाँस का रोपण कराया गया।
- उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए रु0 5.00 करोड़ (रु0 पांच करोड़) की व्यवस्था की गई है।
- झांसी मण्डल में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए 600 चेक डैम बनवाये जाने का निर्णय।
- वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ में स्थापित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार की उपयुक्तता और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समाप्त कर दिये गये इस पक्षी विहार को बहाल कर दिया है।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में खनिजों की खोज हेतु विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक एवं भौतिकीय अन्वेषण कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में सोनभद्र, झांसी, ललितपुर व बांदा में अन्वेषण का कार्य जारी है। जनपद सोनभद्र के घाघर चूना पत्थर का कार्य पूरा।
- वर्तमान में प्रदेश में प्रतिवर्ष कोयला, सिलिकासैण्ड, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन आदि मुख्य खनिजों का लगभग 160 लाख टन तथा ईमारती पत्थर, गिट्टी, मौरंग, ईंट बनाने की मिट्टी आदि उप खनिजों का लगभग 950 लाख घन मीटर उत्पादन हो रहा है। खनिज उत्पादन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 8–10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण

- पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यों में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति स्कूली बच्चों में व्यापक जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। इसके अन्तर्गत विजयी प्रतिभागियों को निर्धारित धनराशि देने की व्यवस्था। इसके अलावा **नेशनल ग्रीन कोर योजना** के तहत स्कूली छात्र/छात्राओं में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत की जा रही है।
- बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान हेतु 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू करके, इस पर 433 करोड़ रु0 का व्यय निर्धारित।
- अवनत वन भूमि पर उद्योगपतियों/अन्य संस्थाओं अथवा स्वयं के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण के आधार पर गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ वृक्षारोपण/वन संवर्धन की अनुमति प्रदान करने की नीति को स्वीकृति। नीति के अनुसार गैर सरकारी संस्थायें वृक्षारोपण कार्य के लिए धनराशि किसी उद्योगपतियों/अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर सकती हैं, इसके लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध, वन विभाग व दोनों संस्थाओं के मध्य सम्पादित करने का निर्णय। अनुबन्ध में यह भी व्यवस्था कि वित्त पोषण करने वाले उद्योगपति/अन्य संस्थायें इस कार्य के लिए धनराशि देने हेतु कृत संकल्प होंगे तथा गैर सरकारी संस्थायें इस कार्य को सम्पादित करने के लिए कटिबद्ध होंगी। वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के निर्देशन व पर्यवेक्षण में किया जायेगा। यह अनुबन्ध 5 से 7 वर्ष के लिए होगा, जिसमें वृक्षारोपण का अनुरक्षण भी सम्मलित होगा। वन बन्दोबस्त के अनुसार स्थानीय लोगों के अधिकार व सुविधायें पूर्ववत बनी रहेंगी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- प्रदेश के 49 हजार ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन। प्रत्येक पंचायत को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधा के लिए रु0 10 हजार की धनराशि।
- स्कूल हेल्थ योजना के अर्न्तगत 30 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चश्मा वितरण, कीड़ों की दवा एवं आयरन फोलिक एसिड की दवा वितरित।
- मस्तिष्क ज्वर रोगियों के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में विशिष्ट वार्ड का निर्माण तथा वायरोलॉजी लैब की स्थापना।

- मस्तिष्क ज्वर के निःशुल्क उपचार की प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर निःशुल्क व्यवस्था। इसके रोक थाम के लिए 2 करोड़ 72 लाख बच्चों का टीकाकरण।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं हेतु 150 चिन्हित निजी नर्सिग होम में 66 जनपदों में निःशुल्क प्रसव की व्यवस्था।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं हेतु 6503 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 1240 करो़ड़ रुपये की व्यवस्था।
- ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अतिविशिष्ट चिकित्सा संस्थानों हेतु 1239 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सुपर स्पेशियलिटी वाले अस्पताल लखनऊ, आगरा, जालौन, बिजनौर, आजमगढ़ अम्बेडकरनगर तथा सहारनपुर में खोलने का निर्णय। 500 शैय्याओं वाले प्रत्येक अस्पताल की लागत 140 से 150 करोड़ रु0। अस्पताल बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा, बल्कि निवेशक व जमीन के मालिक सहमति से जमीन प्राप्त करेंगे।
- इन चिकित्सालयों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 25 प्रतिशत मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें 10 प्रतिशत रोगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विधायक व पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी निःशुल्क चिकित्सा के पात्र होंगे।
- राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों (राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले (बी0पी0एल0) लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाल राशन कार्ड धारकों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का निर्णय। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाल कार्ड धारकों'' को भी सम्मिलित किया गया है।
- नोएडा क्षेत्र के आम नागरिकों, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों, को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्ध नगर को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय।

- मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा समाज के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किये गये संघर्ष के प्रति कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए उनकी पुण्य तिथि 09 अक्टूबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, उपलब्ध करायी जा रही भूमि पर एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इस अस्पताल में गरीब व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी।

- मण्डल मुख्यालयों में अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में 100 शैय्यायुक्त बालरोग चिकित्सालय की स्थापना।

- निजी क्षेत्र के सहयोग से लखनऊ, आगरा, जालौन, बिजनौर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर तथा सहारनपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने का निर्णय। इसके तहत 500 शैय्याओं वाले ऐसे प्रत्येक अस्पताल की लागत 140 से 150 करोड़ रु0 होगी। इन अस्पतालों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 25 प्रतिशत मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें 10 प्रतिशत रोगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक व पूर्व विधायक तथा सेवा निवृत्त सरकार कर्मचारी भी निःशुल्क चिकित्सा के पात्र होंगे।

- मुरादाबाद जिला पुरुष चिकित्सालय में 120 बेड, फैजाबाद जिला चिकित्सालय में 100, बांदा में 200, मिर्जापुर में 150, गोण्डा में 100 बेड बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए बजट में 20 करोड़ रु0 की व्यवस्था।

- प्रदेश के पांच नवसृजित जनपदों में 100 बेड्स के संयुक्त चिकित्सालय जनपद संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, औरैया, श्रावस्ती, बलरामपुर तथा कानपुर नगर के लिए 20 करोड़ रु0 की धनराशि का प्राविधान।

- जनपदीय पुरुष/महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन। 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 09 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर तीन स्टाफ नर्सों की तैनाती।

- प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों 151 सी0एच0सी0 पर आई0ओ0एल0 सेंटरों पर मोतियाबिन्द का आपरेशन करने के लिए नए उपकरणों की खरीद 12वें वित्त आयोग द्वारा 1156.13 लाख रुपये से कराया जा रहा है।

- खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम में मिलावटी सामान बेचने वालों को दण्डित करने के लिए 1487 मुकदमे दायर किये गये, 244 व्यक्तियों को सजा हुई तथा 2,67,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
- वर्ष 2008 से प्रदेश के 9 जनपदों में 1 से 15 वर्ष के बच्चों को चीन से आयातित जे0ई0 वैक्सीन द्वारा टीकाकरण कार्य शुरू किया गया है।
- प्रदेश के 5 मण्डलों सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा महत्वपूर्ण मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रामा केयर हेतु 121 रोगी वाहनों की व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत।
- आशा योजना पूरे प्रदेश में लागू।
- बड़ी संख्या में प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों की आवश्यकता को देखते हुए राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी प्रशिक्षण केन्द्रों से समन्वय कर प्रतिवर्ष लगभग 5,000 ए0एन0एम0 के बैच का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।
- दूरस्थ एवं बीहड़ इलाकों में निवास करने वाली जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट आरम्भ करने का निर्णय।
- गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अपने जन्मदिन पर **स्वास्थ्य बीमा योजना** की घोषणा। इस योजना के तहत सभी बीमारियों के उपचार के लिए राजकीय व निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर एक बार में 30 हजार रु0 तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।
- जिला अस्पताल नोएडा का उच्चीकरण तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक नया अस्पताल स्थापित करके 200–200 बेड के दो उच्चस्तरीय डॉ0 अम्बेडकर मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का निर्णय।
- पोलियो उन्मूलन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 37 जिले पोलियो मुक्त और पी–2 वायरस का पूरी तरह सफाया।
- मान्यवर श्री कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना में 70 जनपदों में चयनित 268 वार्डों तथा प्रत्येक जनपद से एक नगर पंचायत का चयन किया गया है, इनमें परिवार कल्याण विभाग द्वारा

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना, बच्चों का टीकाकरण, पोलियो, अंधता निवारण, कुष्ठ रोग से सम्बन्धित दवायें तथा जन्म–मृत्यु पंजीकरण का कार्य जनवरी 2008 से शुरू किया गया।

- भवन विहीन उपकेन्द्रों के लिए 576 भवनों का निर्माण तथा 1015 उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, 50 सी0एच0सी0 को प्रथम संदर्भन इकाई के रूप में चयन किया गया है। यहां पर विशेषज्ञों की तैनाती की जा रही है जिससे जनता को तुरन्त विशिष्ट सेवाएं मिलेंगी और उन्हें बाहरी सेवाओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एच.आई.वी. की निःशुल्क जांच एवं परामर्श हेतु प्रदेश के समस्त जिला महिला एवं पुरूष चिकित्सालयों तथा मेडिकल कालेजों एवं केन्द्रीय संस्थाओं में व्यवस्था।
- एच.आई.वी. एवं एड्स संक्रमित लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी, लखनऊ एवं मेरठ में एन्टी रेट्रोवायरल केन्द्र (ए.आर.टी) संचालित किये जा रहे है। इस वर्ष तीन नये ए.आर.टी. सेंटर इलाहाबाद, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में स्थित मेडिकल कालेजों में खोले गये हैं।
- एच.आई. वी. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को उसके गर्भस्थ शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश के 99 चिकित्सालयों में माता–पिता एवं **नवजात शिशु सुरक्षा केन्द्र** (पी0पी0टी0सी0टी0) संचालित किया जा रहा है।.
- एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए 8 ड्राप इन सेन्टर लखनऊ, महाराजगंज, इलाहाबाद, कानपुर, कुशीनगर, एटा, आजमगढ़ एवं वाराणसी में स्थापित किये गये हैं। इन रोगियों के इलाज के लिए तीन कम्यूनिटी केयर सेंटर लखनऊ, वाराणसी एवं मेरठ में स्थापित तथा तीन और सेंटर इलाहाबाद, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में स्थापित करने का निर्णय।
- बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सौभाग्यवती सुरक्षित मातृत्व परियोजना का शुभारम्भ।

चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर दिया गया है।

- प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अम्बेडकर नगर में 236.26 करोड़ रुपये की लागत से महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना की विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत करते हुए विभिन्न विषयों के 21 संकायों/विभागों को खोलने का निर्णय।
- तकनीकी प्राविधिक एवं यांत्रिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में बाधक नियमों, उप नियमों का सरलीकरण कर कई प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप 35,000 के स्थान पर 50,000 छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिला है। इस तरह की और शिक्षण संस्थायें राज्य में खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है।
- निर्माणाधीन सुपर फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, मान्यवर श्री कांशीराम जी मेडिकल कॉलेज जालौन तथा डॉ0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज का निर्माण कार्य पूरा कराकर शीघ्र संचालित किये जाने का निर्णय। बाबा भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बांदा की स्थापना की जायेगी।
- लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर आई0आई0टी0 के स्तर की एक संस्था मान्यवर श्री कांशीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 150 एकड़ भूमि पर की जा रही है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के स्तर की महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 200 एकड़ भूमि पर की जा रही है। दोनों संस्थाएं सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित होंगी।
- अम्बेडकर नगर एवं आजमगढ़ में एक–एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति। ज्योतिबाफुले नगर, गोरखपुर, चन्दौली, महामायानगर में एक–एक पॉलिटेक्निक की स्थापना की स्वीकृति।
- प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार के लिए अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सहारनपुर में मान्यवर श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय।
- अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज का मा0 मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा शिलान्यास।
- सहारनपुर में 300 करोड़ रु0 की लागत से मान्यवर श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति।

- दो नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना गोरखपुर तथा अलीगढ़ में।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा लेक्चरर को एस0जी0पी0जी0आई0 के शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान एवं कतिपय अन्य सुविधायें दिये जाने का निर्णय।
- एस0जी0पी0जी0आई0 में विभिन्न जांच दरों में वृद्धि को निरस्त करने के निर्देश।
- नोएडा व ग्रेटर नोएडा में दूर–दूर से इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिए नोएडा में 500 सीटों वाला महामाया अनुसूचित जाति/जनजाति महिला छात्रावास तथा छात्रों के लिए ग्रेटर नोएडा में 500 सीटों वाला डॉ0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास के निर्माण का निर्णय।
- प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के तहत स्थापित डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के सुगम संचालन तथा प्रभावकारी नियंत्रण के लिए नोएडा में एक और प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश का दूसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के नोएडा कैम्पस को विकसित करके स्थापित करने का निर्णय।
- जनपद अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा बांदा में स्थापित किये जा रहे तीन नये राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण कराये जाने की व्यवस्था।
- मेडिकल कालेज, झाँसी के परिसर में स्थापित किये जा रहे नये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर संचालित कराये जाने की व्यवस्था।
- उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर संचालित कराये जाने की व्यवस्था।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, गोमती नगर, लखनऊ में 16 अतिविशिष्ट सेवाओं को चालू किये जाने की व्यवस्था।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में शताब्दी अस्पताल (फेज–1) को चालू किये जाने तथा 16 माड्यूलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की व्यवस्था।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में शताब्दी अस्पताल

(फेज–2) कार्य को प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था।

- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा किये जाने का निर्णय।

पारदर्शी प्रशासन

- तबादला उद्योग को जड़ से समाप्त करने तथा अधिकारियों की तैनाती उनकी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर करने के लिए **सिविल सेवा बोर्ड के गठन का निर्णय।** प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी दबाव के, निडरता और निष्पक्षता से काम करने का निर्देश।

- संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए थानों में हर दिन एक दिवस अधिकारी द्वारा लोगों की शिकायतें सुनकर मुकदमें दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। जिला मुख्यालय पर लोगों की शिकायत सुनने व दर्ज करने के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को **शिकायत अधिकारी** के रूप में तैनात किया गया है।

- जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारियों को प्रातः 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहकर जनसमस्याओं की प्रभावी सुनवाई एवं निस्तारण के निर्देश तथा प्रत्येक मंगलवार को **तहसील दिवस** के आयोजन का निर्णय।

- तहसील दिवसों में प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र अब कम्प्यूटर पर दर्ज करने के निर्देश। आवेदनकर्ता को उसके प्रार्थना पत्र की रसीद भी दी जायेगी।

- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम–2006 को निरस्त करने का फैसला। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण कमियों तथा आयोग की जटिल कार्य प्रणाली के कारण एक वर्ष के अंतराल में भी कोई भर्ती नहीं की जा सकी।

- सरकारी क्षेत्र की इकाइयों एवं उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपे जाने का सरकार का काई इरादा नहीं। राज्य सरकार कर्मचारी हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। पी0पी0पी0मॉडल पर विकसित होने वाले उद्यमों परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था।

- राज्य कर्मचारियों के लिये छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू। 01 दिसम्बर 2008 से राज्य

कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप वेतन का नकद भुगतान का निर्णय तथा 01 जनवरी 2006 से वेतनमान का लाभ मिलेगा।

- मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की लगातार समीक्षा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर गम्भीर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को गम्भीर चेतावनी।

ई–गवर्नेन्स

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में ई– प्रोक्योरमेण्ट योजना को लागू करने का निर्णय। यह योजना पायलेट परियोजना के रूप में प्रथम चरण में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के सभी निगम, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उद्योग निदेशालय तथा विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं में लागू होगी।
- नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई–प्रोक्योरमेण्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ई–प्रोक्योरमेण्ट के अन्तर्गत टेण्डर संबंधी समस्त कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (वेबसाइट/इंटरनेट) से किये जाते हैं।
- विभिन्न श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पूरे प्रदेश के छात्रवृत्ति वितरण का कार्य कम्प्यूटरीकृत। उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का पहला प्रदेश है, जिसमें सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।
- विभागों के निर्णयों एवं उनके स्वरूप से आम जनता को परिचित कराने तथा सभी प्रकार के फार्मों, टेण्डरों, अनुबन्धों को आम जनता की पहुंच में बनाये रखने के लिए सभी शासकीय विभागों की वेबसाइट लांच कर दी गयी है।
- 01 फरवरी, 2008 से पायलेट बेसिस पर ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया छः विभागों में लागू, इससे टेण्डर में असामाजिक/अराजक तत्वों का हस्तक्षेप समाप्त होगा। इसके अलावा **ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना** का क्रियान्वयन भी छः जनपदों में किया जा रहा है। लखनऊ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित **स्मार्ट सिटी परियोजना** के अंतर्गत ई–सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों से जन सामान्य को विद्युत बिल, जल कर, सीवर कर, सम्पत्ति कर, रेलवे आरक्षण, टेलीफोन बिल भुगतान आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कानपुर तथा नोएडा में भी ई–सुविधा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

- नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय को समस्त जनपदों, तहसील मुख्यालयों तथा ब्लाक मुख्यालयों तक इंटरनेट आधारित नेटवर्क की स्थापना। इसके अलावा ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत लखनऊ में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की योजना।
- भारत सरकार तथा विभिन्न संगठनों द्वारा पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के **लोक वाणी** कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में कियास्क स्थापित करके जनता की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू।
- उत्तर प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन देने तथा सम्बन्धित संस्थाओं व व्यक्तियों को पुरस्कृत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश में **ई–गवर्नेन्स पुरस्कार**।
- सेंटर फॉर ई–गवर्नेन्स राजकीय नोडल एजेंसी नामित। नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के तहत प्रदेश में कामन सर्विस सेंटर की स्थापना तथा ग्रामीण जनता को इलेक्ट्रॉनिक्स डिलिवरी सिस्टम के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 17,909 कामन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) की स्थापना जन सेवा केन्द्रों के रूप में पी0पी0पी0 मॉडल पर की जा रही है। प्रत्येक छः गांवों के मध्य एक गांव में सी0एस0सी0 की स्थापना की जायेगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया से सर्विस सेंटर एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। सभी केन्द्र एक वर्ष में स्थापित हो जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण जन मानस को सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
- 01 अप्रैल, 2009 से सभी सरकारी विभागों में समस्त क्रय–प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग के माध्यम से करने का निर्देश।
- उच्च न्यायालयों में लम्बित वादों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश। सेवा सम्बंधी मामलों को आपसी सहमति या वार्ता के माध्यम से निस्तारित किये जाने पर बल।

खेलकूद प्रोत्साहन

- **मान्यवर श्री कांशीराम जी अन्तर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार** की शुरूआत की गयी है। इसमें प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त खिलाड़ी के सम्मान में प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा। यह पुरस्कार उस उल्लेखनीय खिलाड़ी को प्रदान किया जायेगा, जिसने व्यक्तिगत या टीम स्पर्द्धा में टीम के सदस्य के रूप में पदक प्राप्त किया हो अथवा अपने प्रदर्शन से महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

- मान्यवर श्री कांशीराम जी खेल पुरस्कार से अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री आर0पी0 सिंह एवं श्री पीयूष चावला को सम्मानित किया गया।
- आस्ट्रेलिया के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार को मान्यवर श्री कांशीराम अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपये की धनराशि दी गयी तथा अन्डर–19 विश्व क्रिकेट कप टीम के विजेता खिलाड़ी तन्मय श्रीवास्तव तथा अब्दुल्ला को पांच–पांच लाख रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है।
- इस पुरस्कार के अन्तर्गत ओलम्पिक के एकल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर अब 30 लाख रु0, रजत पदक प्राप्त करने पर 20 लाख रु0 और कांस्य पदक प्राप्त करने पर 15 लाख रु0 का पुरस्कार दिये जाने का निर्णय।
- कॉमनवेल्थ, एशियन तथा एफ्रोएशियन खेलों और विश्व कप की एकल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर अब 15 लाख रु0, रजत पदक प्राप्त करने पर 10 लाख रु0 तथा कांस्य पदक प्राप्त करने पर 08 लाख रु0 दिये जायेंगे और विश्व कप की टीम प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर अब 10 लाख रु0, रजत पदक प्राप्त करने पर 08 लाख रु0 तथा कांस्य पदक प्राप्त करने पर 06 लाख रु0 दिये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है। इस वर्ष कबड्डी खिलाड़ी श्री संजीव कुमार, रोइंग खिलाड़ी श्री कुदरत अली, जिमनास्टिक खिलाड़ी श्री मयंक श्रीवास्तव, एथलेटिक खिलाड़ी सुश्री सुमन देवी को यह पुरस्कार दिया गया है।
- लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार योजना में प्रस्तावित एक अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने का निर्णय। साथ ही खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए गोमतीनगर के विनय खण्ड में स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के मिनी स्टेडियम के शीघ्र उच्चीकरण का निर्णय।
- जनपद अम्बेडकर नगर में तरणताल, जूडोहाल, डारमेट्री तथा वेटलिफ्टिंग हाल का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास ।
- के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में 98 बेडेड डारमेट्री के निर्माण कार्य हेतु 125.06 लाख रु0 का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।
- स्पोर्ट्स स्टेडियम महमूदाबाद जनपद सीतापुर में वेटलिफ्टिंग हॉल, कुश्ती हॉल, तरणताल के

साथ चेंज रूम एवं फिल्ट्रेशन प्लान्ट, 08 लेन रनिंग ट्रैक के निर्माण कार्य हेतु 238.15 लाख रु0 की वित्तीय स्वीकृति।

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित जीर्णशीर्ण स्टेडियम एवं अन्य खेल स्थापनाओं के जीर्णोद्धार एवं सुसज्जित करने हेतु क्रीड़ांगन अनुरक्षण मद शुरू करते हुए दो करोड़ रु0 की व्यवस्था।
- के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ को अन्तर्राष्ट्रीय छवि प्रदान करने के लिए फेसलिफ्टिंग एवं रेनोवेशन तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू।
- नोएडा में 2050 करोड़ रुपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी का विकास।
- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन किए जाने का निर्णय।

शिक्षा

- राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण उत्पन्न शैक्षिक कठिनाईयों के निवारण के लिए प्रवक्ताओं के 438 रिक्त पदों पर अस्थाई व्यवस्था के रूप में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय।
- उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग को पूर्ण रूप से रोकने तथा इस सामाजिक बुराई का पूरी तरह से अंत करने के लिए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के विधेयक–2007 के प्रारूप को मंजूरी।
- राज्य मुक्त विद्यालय परिषद विधेयक 2008 के प्रारूप को स्वीकृति। प्रदेश में पत्राचार शिक्षा योजना को समाप्त करते हुए, उसके स्थान पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से इस विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी है।
- राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने के लिए 190.68 लाख रु0 की व्यवस्था। इससे दस राजकीय विद्यालयों को उच्चीकृत किया जायेगा, जिसमें एक विद्यालय के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण।
- शिक्षा की शुचिता एवं पवित्रता को बनाने हेतु स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त।
- 2500 राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत 67 करोड़ रु0 की व्यवस्था।

- प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल उपकरण खरीदने हेतु 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2500 विद्यालयों में 10–10 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- शैक्षिक दिवसों की संख्या बढ़ाने हेतु माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कलेण्डर बनाया गया तथा शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था समाप्त की गयी।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी शोधपीठ को राज्य के 06 विश्वविद्यालयों क्रमशः लखनऊ विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में स्थापित करने का निर्णय।
- राज्य विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की व्यवस्था। राज्य विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में प्रवेश की समस्या का प्रभावशाली निस्तारण किया गया और 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गयीं। छात्रों के साथ–साथ अध्यापकों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य बनाई गयी, ताकि शैक्षिक माहौल में सुधार हो।
- राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गाइड लाइन्स निर्धारित।
- ऑन लाइन एजूकेशन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को एडू–सैट से अपलिंकिंग कार्य प्रारम्भ।
- राजकीय महाविद्यालयों एवं 10 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए चिन्हीकरण का कार्य पूरा।
- राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा के विस्तार के लिए 814 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को सम्बद्धता तथा 504 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। असेवित योजना के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कला संकाय के लिए 30 लाख तथा विज्ञान संकाय के लिए 40 लाख रुपये का अनुदान।
- नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के क्षेत्र में छात्र–छात्राओं की एक–एक महामाया इण्टर कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- फर्जी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के सभी मामलों की एस0आई0टी0 से जांच कराने का फैसला। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10 विश्वविद्यालय बगैर मान्यता के संचालित किये जा रहे

हैं और इन संस्थानों में अवैध रूप से डिग्री पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कार्य भी हो रहा है।

- लखनऊ विश्वविद्यालय सेन्टर आफ एक्सिलेन्स के रुप में विकसित होगा। इसके सर्वांगीण विकास हेतु 238 करोड़ की योजना।
- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रों को विदेशों में शिक्षा दिलाने हेतु वर्ष 2008–09 में 216 लाख रुपये का व्यय करने का फैसला।
- समस्त विश्वविद्यालयों को 30 मई के पहले परीक्षाएं तथा 30 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश।
- मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा अपने जन्मदिन पर बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की शुरूआत। इस योजना में बी0पी0एल0 परिवारों को कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा के लिए एकमुश्त धनराशि दी जायेगी। इस योजना में कक्षा 10 पास करने के बाद बालिका द्वारा कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर उसे एकमुश्त 15 हजार रु0 की धनराशि के साथ–साथ एक लेडीज साइकिल प्रदान की जायेगी। बालिका के 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए 10 हजार रु0 की अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी। यह धनराशि बालिका को छात्रवृत्ति अथवा अन्य मदों से मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त होगी। यह योजना राज्य सरकार के संसाधनों से संचालित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना में लखनऊ की 10 गरीब छात्राओं को एक–एक साइकिल एवं 15–15 हजार रुपये का चेक देकर विधिवत शुरूआत की। इसी दिन पूरे प्रदेश में 8802 गरीब छात्राओं को 1320.30 लाख रुपये की धनराशि तथा 1616 साइकिलें वितरित की गईं।
- उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता के महत्वपूर्ण पदों पर चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के द्वारा चयन का प्राविधान उ0 प्र0 शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2008 द्वारा कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान

- अपवंचित वर्ग की ड्राप आउट बालिकाओं की कक्षा 6–8 की आवासीय शिक्षा हेतु 237 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन।

- कक्षा–2 के कमजोर बच्चों के लिए प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में रेमिडियल टीचिंग का अभियान ।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 84 लाख बालिकाओं को यूनीफार्म देने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी।
- राज्य–मुक्त विद्यालय परिषद स्थापित किये जाने का निर्णय, जिससे शिक्षा से वंछित 50 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
- दस हजार उर्दू विशेष बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण।
- **मिड–डे–मील योजना** के अन्तर्गत बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के लिए प्राइमरी स्कूलों में पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन का गठन। प्रदेश सरकार मिड–डे–मील योजना की गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील। बच्चों को घटिया खाद्यान्न सामग्री व खुले तेल आदि के कारण होने वाली घटनाओं से बचाने के लिए प्री–कुक्ड खाद्य पदार्थ एवं गुणवत्तायुक्त पैकेज्ड तेल की आपूर्ति सीधे केन्द्रीय एजेंन्सियों द्वारा करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से। साथ ही मिड–डे–मील योजना के स्वरूप में परिवर्तन के लिए भी अनुरोध।
- कक्षा एक से पांच तक अध्ययनरत बच्चों को पका पकाया **मिड–डे–मील योजना** का विस्तार करते हुए अक्टूबर, 2007 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित राजकीय, परिषदीय एवं सरकारी सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 6 से आठ तक के बच्चों को दिया जा रहा है।
- कक्षा 1 से 5 तक के 1.83 करोड़ तथा 6 से 8 तक के 39 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन।
- मिड–डे–मील योजना में दलित छात्रों के साथ भेदभाव के दोषी पांच शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही, तीन शिक्षक एस0सी0एस0टी0 एक्ट में जेल भेजे गये।
- शिक्षा मित्रों के मानदेय में 500/– प्रतिमाह की वृद्धि।
- वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,263 केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 3.10 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
- प्रदेश में सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 19,375 सतत् शिक्षा केन्द्रों एवं 1989 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 71 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है।

- 964 प्राथमिक, 1212 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होगी। इसमें से 100 स्कूल बालिकाओं के लिए होंगे। 22 अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों में 58 राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

दुग्ध विकास

- सघन मिनी डेरी परियोजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में संचालित करने का निर्णय। इसके अन्तर्गत 1,827 चयनित अम्बेडकर ग्राम सभाओं में 2 दुधारू पशुओं की 5 मिनी डेरियां की दर से 9,135 मिनी डेरियों की स्थापना का लक्ष्य।
- महिला डेरी योजना के तहत 943 महिला दुग्ध समितियों में 41,976 लीटर दुग्ध उपार्जन। इसके अन्दर कुल समूहों की संख्या 1,146 है। आई0डी0डी0पी0 योजना में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता।
- अम्बेडकर दुग्ध विकास योजना के तहत बजट प्राविधान के सापेक्ष शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी। इससे 311 अम्बेडकर दुग्ध समितियां गठित।
- गोकुल पुरस्कार योजना में 54 दुग्ध संघों हेतु प्रत्येक दुग्ध संघ से सम्बद्ध समितियों के सर्वाधिक दूध देने वाले सदस्यों को 11,000 नकद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्वीकृत 10 लाख एवं 10.80 लाख के गोकुल पुरस्कार का वितरण 01 मार्च, 2008 को किया गया।

खाद्य एवं आपूर्ति

- वर्तमान सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों को नये सिरे से चिन्हित करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पुनः शुरू। यह सर्वेक्षण कार्य खाद्य, ग्राम्य विकास, तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप वास्तविक गरीब परिवारों को पूरा–पूरा लाभ मिल सकेगा।
- नयी बी0पी0एल0 सूची जारी होने तक वर्तमान सूची के अनुसार बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय परिवारों को यथावत लाभ देने का निर्णय।
- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था लागू। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों की रिक्तियों को भरने की व्यवस्था

के तहत अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था।

- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित वार्डों में कुल 66706 वंचित पात्र बी0पी0एल0 परिवारों में से 31 मार्च तक 66238 परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। उचित दर की दुकानों में प्रचलित आरक्षण के अनुसार 5209 दुकानों का बैकलाग चिन्हित हुआ था, जिनमें से 2229 दुकानें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जा चुकी हैं।
- विभिन्न आवश्यक वस्तुओं तथा पी0डी0एस0 के तहत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न चीनी एवं मिट्टी के तेल का दुरुपयोग तथा कालाबाजारी रोकने के तहत चलाये जाने वाले अभियान में 36060 छापे डाले गये, 1662 मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 798 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1298 व्यक्ति अभियोजित किये गये तथा 11033 दुकानों के लाइसेंस निलम्बित व 5106 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये। इस दौरान 2.30 करोड़ रु0 की जमानत राशि तथा लगभग 12.67 करोड़ रु0 मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयीं।
- सूखा प्रभावित नौ जनपदों में राहत व्यवस्था के तहत चिन्हित 170723 निराश्रितों को 3928 खाद्यान्न बैंकों के माध्यम से प्रतिमाह 15 किलोग्राम गेहूं का निःशुल्क वितरण तथा 4349 रसोइयों के माध्यम से निःशुल्क बना हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया गया।

पर्यटन विकास

- बौद्ध परिपथ, फेज–2 परियोजना की कुल लागत रु0 300.00 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित। बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की आवासीय इकाइयों के पुनर्जीवीकरण का निर्णय और इस हेतु बजट प्राविधान।
- लखनऊ में पर्यटन सम्बन्धी शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान भवन के लिए रु0 438.10 लाख की धनराशि अवमुक्त।
- जौनपुर के ऐतिहासिक/धार्मिक स्थलों के समन्वित पर्यटन विकास के लिये रु0 490.15 लाख की धनराशि अवमुक्त। इसके अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा होने की सम्भावना।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मथुरा के पर्यटन विकास के लिये मास्टर प्लान

बनवाकर उसके अनुरूप केन्द्र एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु बजट में व्यवस्था।

- सुल्तानपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास योजनाओं हेतु रु0 1108.61 लाख की स्वीकृति जारी।
- समन्वित पर्यटन विकास हेतु वाराणसी फेज–2 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 708.16 लाख की धनराशि अवमुक्त।
- मथुरा जनपद में स्थित बरसाना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु रु0 311.84 लाख की धनराशि अवमुक्त।
- ब्रेड एण्ड ब्रेक फास्ट योजना के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों के पंजीकरण हेतु भारत सरकार को नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा परिक्षेत्रों से सम्बन्धित प्रस्ताव भेजे गये।
- पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लखनऊ में गोमती नदी के तट पर 5 एकड़ भूमि पर जल क्रीड़ा केन्द्र व नदियां किनारे फास्ट फूड सेन्टर को संचालित करने का निर्णय लिया गया।

परिवहन

- राज्य सरकार ने परिवहन यानों को परमिट दिये जाने की व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए नवीन 'आओ ले जाओ परमिट' योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अन्तर्गत परमिट जारी करने के अधिकार आर.टी.ओ./ए.आर.टी.ओ. (प्रशासन) को प्रतिनिधानित किये जा रहे हैं। प्रत्येक मार्ग पर परमिट की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी।
- दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी0डी0ए0) के क्षेत्र में आने वाली आटो टैक्सियों एवं टैक्सी कैब को कर से छूट प्रदान करने का निर्णय।
- जनता को परिवहन की बेहतर सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल उपरान्त ही दिल्ली राज्य से वार्ता करके दोनों राज्यों के बीच पिछले 7 माह से चल रहे गतिरोध को समाप्त किया गया और बस सेवा का अन्तर्राज्यीय संचालन शुरू।
- लखनऊ में चारबाग बस स्टेशन पर यातायात के जाम की समस्या के निदान के लिए बसों का संचालन डॉ0 भीमराव बस स्टेशन आलमबाग में स्थानान्तरित। चारबाग बस स्टेशन से नगरीय एवं उपनगरीय बसों का संचालन शुरू किया गया।

- सहारनपुर में 38 अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया।
- परिवहन निगम के बस बेड़े में दो वर्षों में 1872 नयी बसें शामिल की गई।
- परिवहन निगम द्वारा 86.82 करोड़ रुपये का सर्वाधिक नगद लाभ अर्जित किया गया। 31 मार्च, 2008 तक निगम द्वारा शत प्रतिशत यात्री कर 206.09 करोड़ रुपये की अदायगी की गई, यह निगम के इतिहास में पहली बार हुआ।
- वर्तमान सरकार के निर्णय पर परिवहन निगम का निजीकरण नहीं होगा और न ही कर्मचारियों की छटनी होगी।
- परिवहन निगम को दो वर्षों में लगातार लाभ।
- मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा प्राप्त जुर्माने आदि से वसूल की गई धनराशि से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन विधि नियमावली–2008 प्रख्यापित करने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री ने ट्रक आपरेटरों की हड़ताल के समय दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन।
- उत्तर प्रदेश में मोटरयानों हेतु हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट योजना लागू। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश के मोटर वाहनों में हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जायेगी। इस योजना के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर समस्त पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जायेंगी।
- उ0प्र0 में नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु परिवहन निदेशालय की स्थापना सहित प्रदेश के सात शहरों में नगरीय बस सेवा संचालित करने का निर्णय।

पंचायती राज

- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत 1322 ग्राम सभाएँ खड़ण्जा एवं नाली निर्माण से संतृप्त।
- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत 1193 ग्राम सभाएँ, सी0सी0रोड तथा पक्की नाली निर्माण से संतृप्त और 243 ग्राम सभाओं में सी0सी0रोड एवं पक्की नाली निमार्णधीन।

- डा0अम्बेडकर ग्राम सभाओं हेतु स्वच्छ शौचालय की इकाई लागत रु0–4940 निर्धारित। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत कुल 5486 ग्राम सभाओं में कुल 768619 शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें कार्यक्रम से संतृप्त किया गया।
- **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान** के तहत विगत दो वर्षों में 2036240 व्यक्तिगत शौचालय तथा 176315 स्कूल शौचालय बनाये गये।
- 58319 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बाल उपयोगी शौचालय तथा 1510 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण विगत दो वर्षों में कराया गया।
- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु विगत दो वर्षों में 2883.18 करोड़ रुपये अवमुक्त किये गये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों का सुधार, सफाई व्यवस्था व जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण। ग्रामीण महिलाओं के लिए सर्वे कराकर सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।
- पंचायती राज विभाग में राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान में 80 महिला पंचायत प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए छात्रावास का निर्माण।
- बहुउद्देश्यीय पंचायत भवनों के निर्माण के तहत दो वर्षों में कुल 3868 पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत प्रदेश में विगत दो वर्षों में रु0 514.73 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर जनपद चयनित किये गये। प्रत्येक जनपद में 1 करोड़ रु0 से नियोजन क्रियान्वयन, निगरानी, लेखांकन, जवाबदेही तथा कार्यों में पारदर्शिता में सुधार की क्षमता वृद्धि हेतु कार्य किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायतों में मार्गों का सुधार, सफाई व्यवस्था व जल निकासी सुरक्षित करने के लिए गांवों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण का निर्णय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 हजार नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी। बुन्देलखण्ड की सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त 10 नई परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे 2.61 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 93 नये नलकूपों के निर्माण की योजना, जिसके सापेक्ष 26 नलकूपों की बोरिंग की गयी।
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 474 करोड़ मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु 1,147 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी।
- 2,647 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण कर 806 गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया।
- 775 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया गया तथा 1807 कि0मी0 लम्बे मार्गों पर नवीनीकरण कराया गया।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कुल चयनित 689 ग्रामों को शौचालय निर्माण से संतृप्त किया जा चुका है। 623 ग्रामों को 2000 वर्ग मीटर खड़ंजा/नाली निर्माण कराकर संतृप्त किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के तहत चयनित बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं देवरिया जिलों के 446 ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु 2090.64 लाख रु0 की कार्ययोजना तैयार की गयी। प्रदेश के आठ नक्सल प्रभावित जनपदों में 1100 कि0मी0 सड़कों के निर्माण हेतु 750 करोड़ रुपये के व्यय का बजट प्राविधान।
- गांव का विकास अब सेक्टरों की तर्ज पर करने का निर्णय। विकसित क्षेत्रों में किसान के कोटे को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत किये जाने की व्यवस्था। गांव में किसान को मिलने वाली आबादी भूखण्ड अभियान चलाकर दिये जायेंगे।
- पंचायतों द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं पर 1189 करोड़ रु0 व्यय किये गये तथा 283081 हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी।
- राज्य सरकार ने 16 विभागों के विकास कार्य पंचायतों को सौंपे। पंचायती राज संस्थाएं योजना बनाने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए कार्यदायी संस्थाएं चुनने को स्वतंत्र।
- बारहवें वित्त आयोग की धनराशि वितरण के फार्मूले के अनुसार 1464 करोड़ रु0 पंचायतों को दिये गये जिसमें से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को तथा 20 प्रतिशत जिला पंचायतों को आवंटित किया गया।
- विगत दो वर्षों में 3868 पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण।

- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण योजना के अन्तर्गत 5,500 लाख रुपये से 3,400 कि0मी0 कार्य कराये जाने पर काम शुरू किया जा चुका है।
- ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध धनराशि से 6,690 कि0मी0 खड़ंजा/नाली के मरम्मत कार्य 17,968 ग्रामों में पूर्ण कराया गया। स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्टूबर, 2007 तक 2,32,466 व्यक्तिगत शौचालय, 9,026 स्कूलों में शौचालय, 9,779 बाल मैत्रिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

श्रम

- राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी की दरों में वृद्धि की गयी। अब पुनरीक्षित दरों के अन्तर्गत 100 रु0 प्रतिदिन अथवा रु0 2600 मासिक कर दी गयी है। श्रम विभाग द्वारा 9404 दुकानों का पंजीयन तथा 5586 दुकानों का नवीनीकरण किया गया जिससे, राजस्व के रूप में 12082403 रु0 की धनराशि प्राप्त की गयी। 4317 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया, दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध 126 अभियोजन दर्ज कराये गये और उनसे 11 लाख रु0 की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गयी। 137 परिवारों को विभिन्न रोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया गया। आर्थिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम परिवारों को कंडीशनल कैस ट्रांसफर योजना के अधीन 10 जिलों का चयन किया गया। इन चयनित प्रति जनपद 26 बाल श्रमिकों को 5 वर्षों में शिक्षा के लिए 40 हजार रु0 की आर्थिक सहायता तथा 100 रु0 प्रति माह छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी। बीड़ी श्रमिकों को आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत 128 श्रमिकों के लिए 25. 60 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी। 156 बन्धुआ श्रमिकों को चिन्हित कर पुनवार्सित कराया गया तथा 140 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन 28.30 लाख रु0 की धनराशि व्यय करके किया गया।
- मजदूरों की श्रम ज्योति दुर्घटना जीवन बीमा योजना में दो लाख रु0 का पांच वर्षीय दुर्घटना बीमा कवर मात्र 200 रु0 की एकमुश्त प्रीमियम पर सुलभ कराया जा रहा है।
- इण्डस बाल श्रम परियोजना तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत 43 जनपदों में 1868 बाल श्रम विद्यालय संचालित, जिसमें 92765 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
- बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वासन की कार्यवाही। ऐसे चिन्हित बाल श्रमिक जो अत्यधिक विषम आर्थिक व पारिवारिक कठिनाइयों की ग्रस्तता के फलस्वरूप बाल श्रम हेतु विवश हैं,

उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना प्रदेश के दस जनपदों में लागू। इस योजना में 05 वर्ष तक रु0 आठ हजार की दर से आर्थिक सहायता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि बाल श्रमिक पांच वर्ष तक निरंतर स्कूल में शिक्षारत रहेगा।

वाणिज्य कर, मनोरंजन कर एवं निबन्धन

- बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू से बने अन्य उत्पादों पर पहली बार व्यापार कर लगाने का निर्णय। बीड़ी पर 12.5 प्रतिशत तथा सिगरेट सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों पर 32.5 प्रतिशत व्यापार कर लगा दिया गया है। इससे सरकार को 625 करोड़ रु0 की आमदनी होगी।
- ईंट भट्ठे पर एकमुश्त व्यापारकर समाधान योजना लागू करने का निर्णय।
- भारतीय स्टैम्प अधिनियम–1899 की अनुसूची–1–(बी) के अनुच्छेद–5 (बी) तथा 43 (बी) के अंतर्गत निर्धारित स्टाम्प शुल्क की दरों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रत्येक रु0 20 हजार मूल्य पर रु0 10 के स्थान पर प्रत्येक रु0 20,000/– मूल्य पर 40 पैसे की सीमा तक कम करने का निर्णय।
- उत्तर प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से वैट लागू। उत्तर प्रदेश राष्ट्र की आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल। वैट से वस्तुओं के अवैध व्यापार पर अंकुश तथा उद्योगों, व्यापारियों, किसानों एवं आम जनता को लाभ।
- व्यापारियों के खिलाफ अभियोजन का प्राविधान समाप्त, एक लाख रु0 से अधिक कर व दण्ड राशि के विवादित मामलों को निपटाने हेतु सैटिलमेंट कमीशन की स्थापना, कम्प्यूटरीकृत व्यापारी सुविधा केन्द्र व पंजीयन प्रकोष्ठ की स्थापना। रिफण्ड की प्रक्रिया को सरल करते हुए 30 दिन के भीतर व्यापारी के खाते में रिफण्ड की धनराशि जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- प्रान्त के अंदर से खरीद कर केवल प्रान्त के अंदर बिक्री करने वाले व्यापारियों के देय कर दायित्व के स्थान पर समाधान राशि निर्धारित करने की व्यवस्था। जिनका वार्षिक विक्रय धन 50 लाख रु0 से अधिक न होने की संभावना हो अथवा गतवर्ष 50 लाख रु0 तक रहा हो, इन व्यापारियों के लिए कर दायित्व के स्थान पर समाधान राशि हेतु दर प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने का प्राविधान।

- सभी वस्तुओं के लिए एच0एस0एन0 कोड लागू किया गया है और पंजीयन की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गयी है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके, ताकि वैट से मुक्त रहें। वैट लगने के बाद कर की दरों में कमी के साथ–साथ एक प्रतिशत विकास कर भी समाप्त किया गया। 1861 वस्तुओं में 436 वस्तुओं की कर की दरों में कमी तथा 1376 वस्तुओं के कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं। मात्र 49 वस्तुओं की कर की दरों में मामूली वृद्धि। वैट लागू होने से अन्य राज्यों के समकक्ष कर दर निर्धारित होने के कारण वस्तुओं के अवैध व्यापार पर अंकुश लगेगा और प्रदेश के उद्योगों, व्यापारियों एवं आम जनता को फायदा होगा।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैट अधिनियम में कैपिटल गुड्स पर दिये गये कर को वापस/समायोजित करने का प्राविधान किया तथा कच्चे माल पर दिये गये कर की वापसी या समायोजन की व्यवस्था। प्रदेश के सभी पंजीकृत कर दाताओं को टिन नम्बर आवंटित, जिसका सम्पूर्ण डीलर डाटाबेस सरवर पर उपलब्ध। सभी कार्यालयों में कम्प्यूटरों की कनेक्टीविटी की व्यवस्था।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के समस्त व्यापार कर मण्डल कार्यालयों में कम्प्यूटराइज्ड फ्रन्ट आफिस तथा व्यापारी सुविधा केन्द्र की व्यवस्था नवम्बर 2007 से शुरू।
- वैट अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन देने के 30 दिन के भीतर पंजीयन जारी करने की व्यवस्था। इस हेतु अलग से पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत पंजीयन प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं और इसके लिए प्रभारी के रूप में अलग से पंजीयन अधिकारी बनाये गये हैं।
- जनता को आधुनिक तकनीकी से युक्त मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के लिए मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम प्रदर्शन से तीन वर्ष शत्–प्रतिशत एवं आगामी दो वर्षों तक 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है।
- चमड़े एवं रेक्सीन फुटवियर पर वैट समाप्त करने की घोषणा।
- शतप्रतिशत निर्यात मूलक इकाईयों को डीजल एवं फर्नेस ऑयल पर प्रवेश कर से छूट।
- बिना कब्जा बाले विक्रय के अनुबंध पत्र पट्टा व बन्धक पत्र पर प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय।
- नगरीय सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये स्टाम्प शुल्क की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय

- उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले विलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का कार्य पी0पी0पी0 के अन्तर्गत कराने का निर्णय।
- हिन्दी फीचर फिल्म ''संत रविदास'' मनोरंजन कर से मुक्त।
- प्रदेश में वैट लागू करने के बाद पहली तिमाही में कर संग्रह में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- हस्त निर्मित कागज कर मुक्त । कच्ची तम्बाकू पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।
- आम जनता की उपभोग की विभिन्न वस्तुओं पर लागू वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दरों को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 04 प्रतिशत करने का निर्णय। इसके अलावा प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं एअर कन्डिशनिंग प्लांट्स पर प्रवेश कर की दर 05 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत, लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज, जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है, पर प्रवेश कर की दर रिबेटेबुल्स 05 प्रतिशत से घटाकर नान–रिबेटेबुल 02 प्रतिशत करने की भी निर्णय।
- भारत सरकार द्वारा डीजल व पेट्रोल के दामों में की गई कमी राज्य सरकार द्वारा यथावत लागू की गई।
- राज्य सरकार द्वारा डीजल पर प्रवेश कर की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।

मत्स्य विकास

- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 50 हजार तथा अपंग होने पर 25 हजार रुपये बीमित धनराशि के भुगतान की व्यवस्था बीमा कम्पनी के माध्यम से की जाती है।
- मत्स्य पालन हेतु 8509.033 हेक्टेअर ताल–पोखरों का आवंटन।
- मछुआ आवास योजना–मछुआ बाहुल्य क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु 35 हजार प्रति आवास की दर से शत–प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा 10 आवासों के समूह पर एक हैण्डपम्प की स्थापना हेतु 25 हजार रुपये का अलग से अनुदान भी दिया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण

- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का निर्णय। उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य, जहां राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने का फैसला लिया गया है।
- राज्य के पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन की दरों को केन्द्र सरकार की भांति पुनरीक्षित करने का निर्णय।
- सामूहिक बीमा योजना की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख, दो लाख एवं चार लाख रु0 प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश में भी वृद्धि तथा एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों के कार्मिकों को भी प्रतिकर भत्ता दिये जाने का निर्णय।
- ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर अनुग्रह की धनराशि की दरों को दोगुना करके 10 लाख रु0 तथा आतंकवादियों/उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाने पर यह धनराशि 15 लाख रु0 कर दी गई है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की भांति ही राज्य कर्मचारियों के लिये समयावधि के आधार पर 10, 20 तथा 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था की गई है।
- शतप्रतिशत अशक्तता के लिए स्वीकृत अशक्तता पेंशन भोगी जो अपने दैनिक कार्यों के लिये किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह आश्रित हैं, उन्हें अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त 3000 रु0 प्रति माह नियत परिचर भत्ता देने का निर्णय।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्र में एक अनुमान के अनुसार लगभग एक करोड़ चालीस लाख लोग जो मजबूरी के कारण सरकारी जमीनों पर अनाधिकृत रूप से 15 जनवरी, 2009 के पहले से रह रहे हैं, ऐसे वास्तविक गरीब लोगों को 30 वर्ग मीटर तक की भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने हेतु सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर शुरू की।
- संविदा पर नियुक्त सफाई कर्मियों का न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक 73 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया।
- स्थानीय निकाय कार्मिकों, शिक्षकों व जूनियर डॉक्टरों को भी छठें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय।

- केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्वीकृत नवीन वेतनमानों को प्रदेश में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया है।

संतों-गुरुओं तथा महापुरुषों का सम्मान

- गुरु गोविन्द सिंह जयंती पर 5 जनवरी, 2008 को अवकाश घोषित।
- गुरु रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। वाराणसी, नगवा में पौने चार करोड़ की लागत से संत रविदास घाट का निर्माण। घाट के पास बहने वाले नाले के सुधार तथा पानी की सफाई हेतु 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा। गुरू रविदास की स्मृति में लिये गये निर्णयों एवं अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्णय।
- बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती 14 अप्रैल, 2008 को गोमतीनगर स्थित सामाजिक परिवर्तन स्थल का लोकार्पण।
- बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडर के नाम से संचालित ग्राम विकास की योजना का पूरे प्रदेश के सभी गांवों में सफल संचालन।
- मुख्यमंत्री द्वारा डॉ0 अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल, 2008 को सामाजिक परिवर्तन स्थल के समीप गोमती बन्धे पर स्थापित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम तथा स्वयं की प्रतिमा का अनावरण।
- मुख्यमंत्री द्वारा डॉ0 अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल, 2008 को बिजनौर रोड स्थित स्मृति उपवन में स्थापित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल का लखनऊ में 253 करोड़ रु0 की लागत से निर्माण।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी यू0पी0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी का 500 करोड़ रु0 की लागत से लखनऊ में निर्माण।
- श्री नारायणा धर्मसंगम ट्रस्ट, केरल को 10 लाख रु0 की धनराशि दी गयी। श्री नारायणा गुरू ने दलितों के उत्थान के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आजीवन संघर्ष किया।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर योजना में 398 करोड़ रु0 की लागत से लखनऊ, कानपुर, मेरठ व गाजियाबाद में 23,112 आवासों का निर्माण।

- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 3,000 करोड़ रु0 की लागत से गरीबों के लिए 2.5 लाख आवास निर्माण।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की सहारनपुर में 300 करोड़ रु0 की लागत से स्थापना।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का 100 करोड़ रु0 की लागत से निर्माण। इसमें 1500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुविशेषज्ञीय अस्पताल का लखनऊ में 300 करोड़ रु0 की लागत से निर्माण।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति भवन का 15 करोड़ रु0 की लागत से लखनऊ में निर्माण।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल 12 करोड़ रु0 की लागत से लखनऊ में निर्माण।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन को 30 करोड़ रु0 की लागत से विकसित किया जा रहा है।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी बाल चिकित्सालय, लखनऊ का 14 करोड़ रु0 की लागत से निर्माण शुरू।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी अन्तर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार को दिया गया।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च, 2008 को सार्वजनिक अवकाश घोषित।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी आवासीय योजना में प्रदेश के 10 जनपदों में गरीबों के लिए 6500 भवन/भूखण्ड विकसित करने का निर्णय। आवास विकास परिषद की वृन्दावन योजना में 16 अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार। आवंटियों को 2009 तक मकान दिये जायेंगे।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयन्ती पर 283.14 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। इन योजनाओं का लोकार्पण किया गया, उसमें 215.26 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये 74 पुल शामिल हैं। इसके अलावा 41 करोड़ रुपये की लागत से 31 नगरों में त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम की योजनाओं का लोकार्पण हुआ।
- लखनऊ में 4.38 करोड़ रुपये की लागत से मान्यवर श्री कांशीराम जी पर्यटन प्रबन्ध संस्थान

तथा 22.50 करोड़ रुपये की लागत से मान्यवर श्री कांशीराम जी पर्यावरण भवन के निमार्ण का निर्णय।

- रमाबाई अम्बेडकर मैदान का लखनऊ में 65 करोड़ रु0 की लागत से निर्माण।
- लखनऊ के प्रसिद्ध डॉ0 भीमराव अम्बेडकर उद्यान को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अपरकास्ट समाज के हित में लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

- सवर्ण समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भारत सरकार को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अपरकास्ट में से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खेती करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन को, नियमों के तहत् वितरित किया जा रहा है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवास विहीन ''ग़ैर'' अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु शत–प्रतिशत राज्य पोषित ''सर्वजन महामाया आवास योजना'' प्रारम्भ की गयी है जिसका सीधा लाभ अपरकास्ट के गरीब लोगों को मिलेगा।
- सर्वजन हिताय–सर्वजन सुखाय नीति को ध्यान में रखते हुए घटते लिंग अनुपात, भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना लागू की गयी है। इसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में 15 जनवरी, 2009 से पैदा होने वाली बच्चियों के नाम से धनराशि फिक्स डिपॉज़िट की जायेगी, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद बालिका को एक लाख रुपये प्राप्त होंगे।
- इसी प्रकार बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना शुरू की गयी है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. कार्ड धारक अभिभावकों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता तथा साइकिल प्रदान की जा रही है।
- पूर्व सरकार के समय में प्रदेश में अपरकास्ट समाज के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में लगी रोक को भी वर्तमान सरकार ने हटा दिया है।

- इसके साथ ही प्रदेश में वृद्धावस्था/किसान पेंशन की दर 150 रूपयों से बढ़ाकर 300 रुपये की गयी है, जिससे अन्य वर्गों के साथ–साथ अपरकास्ट समाज के पात्र व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहे हैं।
- वृद्ध कल्याण नीति के अन्तर्गत अब वर्ष 2002 के सर्वे में 60 वर्ष से ऊपर के सभी बी.पी.एल. व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य। इस निर्णय से 16 लाख अतिरिक्त वृद्धजनों को पेंशन का लाभ मिला, जिससे सवर्ण वर्गों के व्यक्ति भी लाभान्वित हुये।
- वृद्ध महिलाओं के लिए प्रत्येक मण्डल स्तर पर वृद्ध महिला भरण–पोषण पेंशन की दर 1,800 रुपयों से बढ़ाकर 3,600 रुपये वार्षिक की गयी।
- प्रदेश में सवर्ण समाज के लोगों को सरकार की विभिन्न जनहित की कल्याणकारी योजनाओं के तहत् पूरा–पूरा लाभ दिया जा रहा है।
- किसानों एवं भू–स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण के मामलों में भूमि हस्तानान्तरण की कार्यवाही आपसी सहमति हेतु करार नियमावली के अन्तर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं। इससे किसानों एवं भू–स्वामियों को अत्यधिक राहत मिली है एवं अपनी भूमि के मामले में काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन कर सर्वसमाज की अविवाहित पुत्री को भी पिता की सम्पत्ति में वारिसाना अधिकारी देने का निर्णय लिया गया है।
- सीलिंग भूमि सीमा घटाकर किसानों की भूमि निकालने की राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना अथवा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। भविष्य में भी इस तरह की कोई योजना नहीं।
- ''मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना'' के तहत एक लाख एक हजार (1,01,000) आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।
- प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकलांग छात्रों के हित में डॉ. शकुंतला मिश्रा उ. प्र. विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे अपरकास्ट के छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 द्वारा विकलांगों को सरकारी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिकित्सा एवं उपचार के लिए आरोग्य निधि स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत पाँच करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया

है। गम्भीर रोगों एवं जानलेवा बीमारियों से ग्रसित गरीबी रेखा के नीचे के सभी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपचार सुविधा अनुमन्य। आरोग्य निधि के अन्तर्गत चिकित्सा हेतु अकितम डेढ़ लाख रुपये की धनराशि एक व्यक्ति के उपचार के लिए प्राविधानित है। उपचार मेडिकल कॉलेजों/लब्ध–प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में कराये जाने की व्यवस्था।

- ''जननी सुरक्षा योजना'' से भी अपरकास्ट वर्गों की एक बड़ी जनसंख्या लाभान्वित हुई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत साढ़े सात लाख लाभार्थियों को धनराशि दी गई तथा वर्ष 2008–09 में 30 सितम्बर, 2008 तक कुल 6 लाख 2 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी सौभाग्यवती योजना के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का लाभ निजी नर्सिंग होम्स के माध्यम से प्रदान किये जाने होंगे।

———————